पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2012–14
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड–16] रुड़की, शनिवार, दिनांक 25 अप्रैल, 2015 ई0 (बैशाख 05, 1937, शक सम्वत्) [संख्या–17

विषय–सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग–अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग–अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
		रु0
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	–	3075
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	283–297	1500
भाग 1–क–नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	249–255	1500
भाग 2–आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण	–	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	–	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 6–बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट	–	975
भाग 7–इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	–	975
भाग 8–सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	159–166	975
स्टोर्स पर्चेज–स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़-पत्र आदि ...	–	1425

भाग 1

विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

वन एवं पर्यावरण अनुभाग–1

विज्ञप्ति

25 फरवरी, 2015 ई0

संख्या 4963 (A)/X–1–2014–04(15)/2014–भारतीय वन सेवा (वेतन) द्वितीय संशोधन नियमावली, 2008 के नियम–3 की टिप्पणी–3 में उल्लिखित व्यवस्थानुसार, भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1996 बैच के अधिकारियों को भारत सरकार में संयुक्त सचिव के पद पर तैनाती के सापेक्ष पे–बैण्ड 4 के अन्तर्गत वेतनमान ₹ 37,400–67,000, में ग्रेड पे ₹ 10,000 अनुमन्य किये जाने के फलस्वरूप, भा0व0से0 (उत्तराखण्ड संवर्ग) के 1994 बैच के निम्नलिखित अधिकारी को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ–2 में अंकित तिथि से मुख्य वन संरक्षक पद के वेतनमान ₹ 37,400–67,000, में उच्चतर ग्रेड पे ₹ 10,000 गैर–कार्यात्मक आधार पर स्वीकृत किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

अधिकारी का नाम एवं बैच वर्ष	गैर–कार्यात्मक आधार पर वेतनमान स्वीकृति की तिथि
1	2
श्री एस0पी0 सुबुद्धि (भा0व0से0–1994)	13 अक्टूबर, 2014

आज्ञा से,

डॉ0 रणबीर सिंह,

प्रमुख सचिव।

सिंचाई अनुभाग–1

विज्ञप्ति/प्रोन्नति

27 फरवरी, 2015 ई0

संख्या 280/II–2015–01(29)(18)–2011/2013–सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत डिप्लोमाधारी कनिष्ठ अभियन्ता/अपर सहायक अभियन्ता (सिविल) से सहायक अभियन्ता (सिविल) के पदों पर चयन वर्ष 2014–15 की रिक्तियों के सापेक्ष नियमित चयन द्वारा प्रोन्नति के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के पत्र संख्या 282/25/ई–1/डी0पी0सी0(ए0ई0)/2014–15, दिनांक 30.10.2014 द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में निम्नलिखित डिप्लोमाधारी कनिष्ठ अभियन्ता/अपर सहायक अभियन्ता (सिविल) को सहायक अभियन्ता (सिविल), वेतनमान ₹ 15,600–39,100 एवं सदृश्य ग्रेड पे ₹ 5,400 के पद पर निम्नवत् पद रिक्त होने के उपरान्त कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

डिप्लोमाधारी संवर्ग :–

क्र0 सं0	नाम	अभ्युक्ति
1.	श्री दीप चन्द्र काण्डपाल	श्री विशन दत्त जोशी, सहायक अभियन्ता (सिविल) के दिनांक 28.02.2015 को सेवानिवृत्ति से उत्पन्न रिक्ति के सापेक्ष
2.	श्री उमेश चन्द्र उप्रेती	श्री प्रकाश चन्द्र लोशाली, सहायक अभियन्ता (सिविल) के दिनांक 28.02.2015 को सेवानिवृत्ति से उत्पन्न रिक्ति के सापेक्ष

2. पदोन्नत कार्मिकों को वर्तमान तैनाती स्थल पर ही कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा तथा इनके पदस्थापना आदेश पृथक् से जारी किये जायेंगे।

3. उक्त पदोन्नत कार्मिकों को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

4. उक्त पदोन्नत कार्मिकों को नियमानुसार प्रथम बार ही शिथिलीकरण का लाभ अनुमन्य किया गया है।

उक्त आदेश मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या 1782/एस0एस0/2012 श्री अवनीश भटनागर व अन्य बनाम राज्य में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेंगे।

आज्ञा से,
एम0 एच0 खान,
प्रमुख सचिव।

कार्मिक अनुभाग–1

विज्ञप्ति/नियुक्ति

08 अप्रैल, 2015 ई0

संख्या 761/XXX–1–15–25(3)/2013–लोक सेवा आयोग, उत्तराखण्ड द्वारा आयोजित सिविल जज (जूनियर डिवीजन), परीक्षा, 2013 के आधार पर लोक सेवा आयोग, उत्तराखण्ड की संस्तुति पत्रांक 432/05/E–2/(CJ-JD)/2013–14, दिनांक 10.04.2014 एवं पत्र संख्या 435/05/E–2/(CJ-JD)/2013–14, दिनांक 27.12.2014 तथा इस सम्बन्ध में मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय के पत्र संख्या 1544/XIII–d–1/Admin.A/2013, दिनांक 30.03.2015 द्वारा प्राप्त सहमति के क्रम में महामहिम श्री राज्यपाल महोदय नीचे दी गयी तालिका के स्तम्भ–2 में उल्लिखित अभ्यर्थियों को उनके नाम के सम्मुख तालिका के स्तम्भ–3 में अंकित जनपद में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उत्तराखण्ड न्यायिक सेवा नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथासंशोधित) के अधीन उत्तराखण्ड न्यायिक सेवा में सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के पद पर वेतनमान ₹ 27,700–770–33,090–920–40,450–1080–44,770/– में, नियुक्त किये जाने तथा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष के परिवीक्षाकाल पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

क्र0 सं0	नाम अभ्यर्थी	तैनाती स्थल
1	2	3
1.	श्री आशुतोष तिवारी (सामान्य), ए–148, रूम नं0 12, क्रिश्चियन कॉलोनी, पटेल चेस्ट, नई दिल्ली–110007	बागेश्वर
2.	सुश्री मीनल चावला (सामान्य/उत्तराखण्ड महिला), बाबा ठाकुर जी सीड्स, महतोष रोड, गदरपुर, ऊधमसिंह नगर, उत्तराखण्ड	अल्मोड़ा
3.	सुश्री तिस्ता शाह (सामान्य/उत्तराखण्ड महिला), स्पायर्स द प्रायोरी कम्पाउण्ड, अयारपट्टा, मल्लीताल, नैनीताल, उत्तराखण्ड–263001	देहरादून
4.	सुश्री आफिया मतीन (सामान्य/अ0पि0व0/उत्तराखण्ड महिला), अब्दुल्ला बिल्डिंग, बरेली रोड, हल्द्वानी, पो0 हल्द्वानी, थाना–हल्द्वानी, जिला नैनीताल	ऊधमसिंह नगर
5.	श्री उत्सव गौरव राज (सामान्य), 8/36, हर मिलाप सदन, भोला नाथ गार्डन, कालाडुंगी रोड, हल्द्वानी, जिला नैनीताल–263139	हरिद्वार
6.	श्री अमित कुमार (सामान्य), C/o तेज सिंह, एन–1/66–आर–22, नगवा लंका, वाराणसी, उत्तर प्रदेश–221005	चमोली
7.	श्री आलोक राम त्रिपाठी (सामान्य), C/o ब्रिगेडियर के0पी0एन0 सिंह, बी–30/642, नन्द निवास, नगवा लंका, वाराणसी, उत्तर प्रदेश–221005	चम्पावत
8.	श्री मिथिलेश पाण्डेय (सामान्य), ग्राम–फुलहर खुर्द, पोस्ट–बांसगांव, जिला गोरखपुर, उत्तर प्रदेश–273403	पौड़ी गढ़वाल

1	2	3
9.	श्री रविन्द्र देव मिश्रा (सामान्य), ग्राम–काशीपुर, पो0–मेवपुर, तहसील–कादीपुर, जिला–सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश–228161	पिथौरागढ़
10.	श्री रवि रंजन (सामान्य), चौरसिया निवास, कुम्हार टोली (नालापार), जिला–हजारीबाग, झारखण्ड–825301	रूद्रप्रयाग
11.	श्री कपिल कुमार त्यागी (सामान्य), ग्राम–मवानाखुर्द, डाक मवानाखुर्द, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश–250401	टिहरी गढ़वाल
12.	श्री अभय सिंह (सामान्य), 4–ए, भगवती विहार, कृष्णा नगर, लखनऊ–226023	पौड़ी गढ़वाल
13.	श्री मोहम्मद आरिफ (सामान्य), C/o इन्तजार अहमद, एडवोकेट, मौहल्ला खैल कलन, पो–कैराना, जिला शामली, उत्तर प्रदेश–247774	उत्तरकाशी
14.	सुश्री ममता पन्त (सामान्य/उत्तराखण्ड महिला), 260/3, चीना खान लाइन, तल्लीताल, नैनीताल–263002	देहरादून
15.	सुश्री अनामिका रानी (सामान्य), 82, सरस्वती मन्दिर, सूरज कुण्ड रोड, मेरठ, उत्तर प्रदेश–250002	नैनीताल
16.	सुश्री बीनू गुलियानी (सामान्य/उत्तराखण्ड महिला), 29–ए, रेस कोर्स, निकट पंजाब नेशनल बैंक, देहरादून, उत्तराखण्ड–248001	नैनीताल
17.	श्री नदीम अहमद (अ0पि0व0), निकट ईदगाह, गली नं0 ए–14, सुभाषनगर, ज्वालापुर, हरिद्वार, उत्तराखण्ड–249407	अल्मोड़ा
18.	श्री धर्मेन्द्र शाह (अ0जा0), ग्राम–ढौण्डा, भरदार, पो0 ऑ0 चौरिया भरदार, जिला–रूद्रप्रयाग–246475	हरिद्वार
19.	सुश्री शाहिस्ता बानो (अ0पि0व0/उत्तराखण्ड महिला), नियर मजरी मौहल्ला, बहादराबाद, जिला हरिद्वार	नैनीताल
20.	श्री अनूप सिंह (अ0जा0), धान्यू मार्ग, विजयनगर, अगस्त्यमुनि, पो0–अगस्त्यमुनि, जिला रूद्रप्रयाग–246421	हरिद्वार
21.	सुश्री शमा परवीन (अ0पि0व0), ग्राम–राजपुर, मकान नं0 19, पोस्ट गढ़मीरपुर, हरिद्वार	ऊधमसिंह नगर
22.	सुश्री मंजू देवी (अ0जा0), ग्राम–धरतावाला, पो0–पण्डितवाड़ी, प्रेमनगर, देहरादून	नैनीताल
23.	सुश्री जयश्री राणा (अ0ज0जा0/उत्तराखण्ड महिला), ग्राम–रौली, पो0ऑ0 देवर–खड़ोरा, जिला चमोली, उत्तराखण्ड–246401	देहरादून
24.	कु0 सुमन (अ0जा0/उत्तराखण्ड महिला), ग्राम–दिखोल गांव, पो0ऑ0 चम्बा, जिला टिहरी गढ़वाल, उत्तराखण्ड–249145	नैनीताल

2. यह नियुक्ति मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में लम्बित रिट याचिका संख्या 4(एस/बी) ऑफ 2014, रिट याचिका संख्या 178 (एस/बी) ऑफ 2014 एवं रिट याचिका संख्या 133 (एस/बी) ऑफ 2014, रिट याचिका संख्या 459/2014, शिवानी कोहली बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य तथा मा0 उच्च न्यायालय/मा0 उच्चतम न्यायालय में रिट याचिका (पीआईएल) 67/2011 में मा0 न्यायालय द्वारा पारित अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगी।

3. यह नियुक्ति इस प्रतिबन्ध के साथ औपबन्धिक रूप से की जाती है कि सम्बन्धित अभ्यर्थियों का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन तथा स्वास्थ्य परीक्षण, स्थायी निवास/जाति प्रमाण–पत्र की रिपोर्ट न्यायिक सेवा सिविल जज (जू0डि0) के लिये उपयुक्त हो। यदि किसी अभ्यर्थी के सम्बन्ध में चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन तथा स्वास्थ्य परीक्षण स्थायी निवास/जाति प्रमाण–पत्र आदि में प्रतिकूल रिपोर्ट प्राप्त होती है तो उनकी सेवायें एक पक्षीय निर्णय लेते हुए तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जायेंगी।

आज्ञा से,

राधा रतूड़ी,

प्रमुख सचिव।

श्रम एवं सेवा अनुभाग

विज्ञप्ति/नियुक्ति

23 फरवरी, 2015 ई0

संख्या 285/VIII/02(ई0एस0आई0)/2006–कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत ऐलोपैथिक चिकित्साधिकारी (पुरुष/महिला) के पदों पर लोक सेवा आयोग, उत्तराखण्ड, हरिद्वार द्वारा वर्ष 2014–15 में किये गये चयन के फलस्वरूप की गई संस्तुति के आधार पर श्री राज्यपाल महोदय निम्न सूची में उल्लिखित अभ्यर्थियों को, कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत वेतनमान ₹ 15,600–39,100, ग्रेड वेतन ₹ 5,400 में चिकित्साधिकारी (एलोपैथिक) के पद पर अस्थाई रूप से नियुक्त करते हुए निम्नवत् तैनात किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

क्र0 सं0	चयनित चिकित्साधिकारी का नाम	गृह जनपद	स्थायी पता	पत्र व्यवहार का पता	तैनाती स्थान
1	2	3	4	5	6
1.	डा0 रेनु राय	गोरखपुर	रेनु राय पुत्री श्री अशोक कुमार राय ग्राम–डंडवाचतुर, पो0ऑ0–पाण्डेकापुरा, जिला गोरखपुर, उत्तर प्रदेश	रेनु राय पुत्री श्री अशोक कुमार राय द्वारा ललित मोहन पाण्डे, नई कॉलोनी, तल्ला ब्यूरा, के0आ0सी0 कैम्प के पीछे, काठगोदाम, जिला नैनीताल, उत्तराखण्ड	क0रा0बी0औ0, लालकुआँ
2.	डा0 शंकर दत्त सूँठा	नैनीताल	श्री शंकर दत्त सूँठा पुत्र श्री बद्री दत्त सूँठा, ग्राम, पो0 हरिपुर नायक, जिला नैनीताल, उत्तराखण्ड	श्री शंकर दत्त सूँठा पुत्र श्री बद्री दत्त सूँठा, ग्राम, पो0 हरिपुर नायक, जिला नैनीताल, उत्तराखण्ड	क0रा0बी0औ0, काशीपुर
3.	डा0 वैभव कुमार	देहरादून	श्री वैभव कुमार पुत्र श्री जयराम, ग्राम डैंसली, तहसील चम्पावत, जिला चम्पावत, उत्तराखण्ड	श्री वैभव कुमार पुत्र श्री जयराम, डी–75, आई0डी0पी0एल0 कॉलोनी, नियर लेडीज क्लब, ऋषिकेश, पो0 वीरभद्र, देहरादून	क0रा0बी0औ0, लक्सर
4.	डा0 अभिषेक नौटियाल	उत्तरकाशी	श्री अभिषेक नौटियाल पुत्र श्री एम0एल0 नौटियाल, ग्राम–वाडाहाट, पट्टी वाडाहाट, तहसील–मटवाडी, जिला उत्तरकाशी, उत्तराखण्ड	श्री अभिषेक नौटियाल पुत्र श्री एम0एल0 नौटियाल, एस0बी0सी0–102, यमुना कॉलोनी, चकराता रोड, देहरादून, उत्तराखण्ड	ई0एस0आई0, निदेशालय
5.	डा0 ललित कुमार सिंह	हरिद्वार	श्री ललित कुमार सिंह पुत्र श्री राम प्रसाद, नन्हेडा, अनन्तपुर, रुड़की, हरिद्वार उत्तराखण्ड	श्री ललित कुमार सिंह पुत्र श्री राम प्रसाद,नन्हेडा, अनन्तपुर, रुड़की, हरिद्वार उत्तराखण्ड	क0रा0बी0औ0, खटीमा

1	2	3	4	5	6
6.	डा0 कविता लोहनी	पिथौरागढ़	डा0 कविता लोहनी पुत्री श्री शेखर चन्द लोहनी, ग्राम भडेलागूढ़, पट्टी महरखास, तहसील एवं जिला पिथौरागढ़	डा0 कविता लोहनी पुत्री श्री शेखर चन्द लोहनी, पो0 एंचोली, जिला पिथौरागढ़, उत्तराखण्ड	क0रा0बी0औ0, हल्द्वानी
7.	डा0 जूही सिंह	हरिद्वार	कु0 जूही सिंह पुत्री श्री विजय कुमार खेवरिया, ई0–400, राजेन्द्र नगर, तहसील रुड़की, जिला हरिद्वार, उत्तराखण्ड	कु0 जूही सिंह पुत्री श्री विजय कुमार खेवरिया, 57/1, इन्द्रा नगर, नियर अनुराग नर्सरी, देहरादून, उत्तराखण्ड	क0रा0बी0औ0, डोईवाला
8.	डा0 अवन्तिका रमोला	उत्तरकाशी	ग्राम बाडीमनी, पट्टी डिचली, तहसील चिन्यालीसौड, जिला उत्तरकाशी	अवन्तिका रमोला पुत्री श्री बुद्धि चन्द्र रमोला, 22, आराघर, हरिद्वार रोड, देहरादून उत्तराखण्ड	क0रा0बी0औ0, सिडकुल, हरिद्वार
9.	डा0 सोहन सिंह	देहरादून	श्री सोहन सिंह पुत्र श्री दयाल सिंह चौहान, विंग नं0–3, बैरक नं0 11715, प्रेमनगर, देहरादून, उत्तराखण्ड	श्री सोहन सिंह पुत्र श्री दयाल सिंह चौहान, विंग नं0–3, बैरक नं0 11715, प्रेमनगर, देहरादून, उत्तराखण्ड	क0रा0बी0औ0, कोटद्वार
10.	डा0 संध्या राज	अल्मोड़ा	संध्या पुत्री श्री भवानी राम राज, गोलना करडिया, अल्मोड़ा, उत्तराखण्ड	संध्या पुत्री श्री भवानी राम राज, गोलना करडिया, अल्मोड़ा, उत्तराखण्ड	क0रा0बी0औ0, जसपुर
11.	डा0 विवेक पन्त	पिथौरागढ़	श्री विवेक पन्त पुत्र श्री गणेश दत्त पन्त, ग्राम लन्ढयूडा तोक, पट्टी महरखास तहसील एवं जिला पिथौरागढ़, उत्तराखण्ड	श्री विवेक पन्त पुत्र श्री गणेश दत्त पन्त, केयर ऑफ श्रीमती आशा पन्त, मकान नं0–58, पन्त निवास, धारचूला रोड, रई बैण्ड, पिथौरागढ़	क0रा0बी0औ0, रुड़की

1	2	3	4	5	6
12.	डा0 नीतू शाह	पौड़ी गढ़वाल	नीतू शाह पुत्री श्री कान्ता प्रसाद, ग्राम धारकोट, पट्टी काफोलस्यूं, तहसील पौड़ी गढ़वाल, जिला पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखण्ड	नीतू शाह पुत्री श्री कान्ता प्रसाद, बी–173, स्वर्ण नगरी, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्ध नगर, उ0 प्र0	क0रा0बी0औ0, ऋषिकेश
13.	डा0 दरवेश कुमार कालयान	हरिद्वार	श्री दरवेश कुमार कालयान, पुत्र श्री बिरमपाल, ग्राम–गढ़, पो0ऑ0 गढमीरपुर, जिला हरिद्वार, उत्तराखण्ड–249402	श्री दरवेश कुमार कालयान, पुत्र श्री बीरमपाल, ग्राम–गढ़, पो0ऑ0 गढमीरपुर, जिला हरिद्वार, उत्तराखण्ड–249402	क0रा0बी0औ0, काशीपुर
14.	डा0 मनीष रावत	रूद्रप्रयाग	श्री मनीष रावत पुत्र श्री बचन सिंह रावत, ग्राम व पो0ऑ0 ऊखीमठ, जिला रूद्रप्रयाग उत्तराखण्ड–246469	श्री मनीष रावत पुत्र श्री बचन सिंह रावत, 58–जाखन शिवम् विहार, जनपद देहरादून, उत्तराखण्ड	क0रा0बी0औ0, लालतप्पड
15.	डा0 प्रीति उनियाल	पौड़ी गढ़वाल	श्रीमती प्रीति उनियाल, चाई दमराडा, तहसील यमकेश्वर, जिला पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखण्ड	श्रीमती प्रीति उनियाल, पत्नी श्री अरूण ध्यानी, ग्राम कनहारवाला, पो0ऑ0 भानियावाला, वाया डोईवाला, जनपद देहरादून, उत्तराखण्ड	क0रा0बी0औ0, भगवानपुर
16.	डा0 सुप्रिया घिल्डियाल	पौड़ी गढ़वाल	सुप्रिया घिल्डीयाल पुत्री श्री भगवान प्रसाद घिल्डीयाल, ग्राम खोला, पट्टी कन्दूलस्यूं, तहसील श्री नगर, जिला पौड़ी गढ़वाल	डा0 सुप्रिया घिल्डीयाल पुत्री श्री भगवान प्रसाद, घिल्डीयाल, 133ए, प्रकाश विहार, पुराना बच्चा जेल के पास, धर्मपुर, देहरादून	क0रा0बी0औ0, आई0टी0 पार्क, देहरादून
17.	डा0 माला चौधरी	देहरादून	श्रीमती माला चौधरी, पत्नी डा0 संदीप चौधरी, मकान नं0 3/15, न्यू कैन्ट रोड, रविन्दपुरी हाथीबडकला, देहरादून जनपद–देहरादून, उत्तराखण्ड	श्रीमती माला चौधरी, पत्नी डा0 संदीप चौधरी, मकान नं0 3/15, न्यू कैन्ट रोड, रविन्दपुरी, हाथीबडकला, देहरादून जनपद–देहरादून, उत्तराखण्ड	क0रा0बी0औ0, हरिद्वार
18.	डा0 कौशल कुमार	नैनीताल	श्री कौशल कुमार पुत्र श्री ए0आर0 आर्य, ग्राम रियूनी लखमार तहसील गरूड़, जिला बागेश्वर, उत्तराखण्ड	श्री कौशल कुमार पुत्र पुत्र श्री ए0आर0 आर्य, मित्र विहार कॉलोनी, ट्रान्सपोर्ट नगर, हल्द्वानी, नैनीताल, उत्तराखण्ड	क0रा0बी0औ0, रूद्रपुर

1	2	3	4	5	6
19.	डा0 अमित सुकोटी	नैनीताल	श्री अमित सुकोटी पुत्र श्री जी0सी0 सुकोटी, ग्राम धौलाखेड़ा, पो0 अर्जुनपुर, तीनपानी हल्द्वानी, नैनीताल	श्री अमित सुकोटी पुत्र श्री जी0 सी0 सुकोटी, ग्राम धौलाखेड़ा, पो0 अर्जुनपुर, तीनपानी हल्द्वानी, नैनीताल	क0रा0बी0औ0, सितारगंज
20.	डा0 रमेश कुमार	ऊधमसिंह नगर	श्री रमेश कुमार पुत्र श्री सुख राम, ग्राम–बारी, अन्जुनिया, पो0 जामौर, तहसील–खटीमा, जिला–ऊधमसिंह नगर, उत्तराखण्ड–263008	श्री रमेश कुमार पुत्र श्री सुख राम, ग्राम–बारी, अन्जुनिया, पो0 जामौर, तहसील–खटीमा जिला–ऊधमसिंह नगर, उत्तराखण्ड–263008	क0रा0बी0औ0, आई0पी0–4, बहादराबाद (हरिद्वार)

उपरोक्तवत् सूची में दर्शाये गये चिकित्साधिकारियों की नियुक्ति निम्न प्रतिबन्धों के अधीन होगी :–

(1) सम्बन्धित अभ्यर्थी को संलग्न सूची में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ–6 में दर्शाये गये स्थान पर तैनात किया जाता है परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि चरित्र सत्यापन एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन के पश्चात् उनका चरित्र एवं पूर्ववृत्त सेवा में नियुक्ति हेतु उपयुक्त नहीं पाया जाता है, तो उनकी यह नियुक्ति उत्तराखण्ड अस्थायी सरकारी सेवक (सेवा समाप्ति) नियमावली, 2003 के प्राविधानों के अनुसार निरस्त कर दी जायेगी।

(2) इन अभ्यर्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण मण्डलीय मेडिकल बोर्ड द्वारा किया जायेगा और उक्त बोर्ड द्वारा स्वस्थ घोषित किये जाने के उपरान्त ही उन्हें कार्यभार ग्रहण कराने दिया जायेगा। अभ्यर्थी अपने नियुक्ति–पत्र सहित अपनी तैनाती के मण्डल के अपर निदेशक से सम्पर्क कर स्वास्थ्य परीक्षण हेतु उपस्थित होंगे। अपर मण्डलीय निदेशक द्वारा मण्डलीय मेडिकल बोर्ड से वांछित परीक्षण कराकर अभ्यर्थी का स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र सम्बन्धित अधिकारी को उपलब्ध करा दिया जायेगा किन्तु मेडिकल बोर्ड द्वारा अस्थाई रूप से अयोग्य घोषित किये गये अभ्यर्थी का प्रकरण राज्य स्तरीय मेडिकल बोर्ड से स्वास्थ्य परीक्षण कराये जाने हेतु शासन को संदर्भित किया जायेगा।

(3) नियुक्त किये जा रहे चिकित्साधिकारी को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय–समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ते तथा अन्य भत्ते भी देय होंगे। उत्तराखण्ड सरकार चिकित्सक (एलोपैथिक) प्राइवेट प्रैक्टिस पर उत्तर प्रदेश निर्बन्धन नियमावली, 1983 के अन्तर्गत प्राइवेट प्रैक्टिस की अनुमति नहीं होगी और नियमानुसार प्रैक्टिस बन्दी भत्ता देय होगा।

(4) नियुक्त चिकित्साधिकारियों को दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जायेगा, जिसे राज्य सरकार के नियमानुसार बढ़ाया भी जा सकता है।

(5) नवनियुक्त अभ्यर्थी 01 माह के अन्दर अपने पद का कार्यभार अवश्य ग्रहण कर लें। इस अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती हेतु निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा, उत्तराखण्ड, देहरादून के समक्ष उपस्थित होंगे तथा प्रस्तर (7) में अंकित सभी प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करेंगे। यदि वे इस अवधि के भीतर अपनी तैनाती हेतु निदेशक को अपनी योगदान की सूचना नहीं देते हैं तो उनका अभ्यर्थन समाप्त हो जायेगा।

(6) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु अभ्यर्थी को किसी प्रकार का यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।

(7) अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व निम्न प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने होंगे :–

(I) अभियोजन न चलाये जाने तथा न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में एक घोषणा–पत्र (दस रुपये का स्टॉम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित)।

(II) उत्तराखण्ड मेडिकल काउन्सिल द्वारा किये गये स्थायी रजिस्ट्रेशन की दो प्रतियां।

(III) ओथ एलिजियन्स का प्रमाण–पत्र।

(IV) गोपनीयता का प्रमाण–पत्र।

(V) चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण–पत्र।

(VI) लिखित रूप से एक अन्डरटेकिंग कि यदि चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन के पश्चात् उन्हें सरकारी सेवा के लिए उपयुक्त नहीं पाया जाता है, तो उनकी यह नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी, जिसके लिए वे किसी क्षतिपूर्ति का हकदार नहीं होगा।

(VII) एक से अधिक जीवित पति/पत्नी न होने का घोषणा–पत्र।

(VIII) गढ़वाल/कुमायूं के मण्डलीय मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त स्वस्थता प्रमाण–पत्र।

(IX) शैक्षिक योग्यता, आयु, स्थायी निवासी एवं जाति से सम्बन्धित प्रमाण–पत्रों की एक–एक प्रमाणित प्रतियां उनके सत्यापन हेतु समस्त मूल प्रमाण–पत्र।

(X) दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण–पत्र जो सक्रिय सेवा में हों और उनके निजी जीवन से पूर्णरूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी या रिश्तेदार न हों।

(XI) केन्द्र/राज्य सरकार के अधीन की गयी सेवाओं का अद्यतन घोषणा–पत्र।

2. कर्मचारी राज्य योजना विभाग के अन्तर्गत उक्त अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता लोक सेवा आयोग से प्राप्त वरिष्ठता क्रम के आधार पर सुसंगत नियमों के आधार पर अवधारित की जायेगी।

आज्ञा से,

आर0 के0 सुधांशु,
सचिव।

सहकारिता अनुभाग–1

अधिसूचना

24 फरवरी, 2015 ई0

संख्या 253/XIV–1/2015–9(4)/2010–श्री राज्यपाल महोदय, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम की धारा 63 की उपधारा (3) सपठित भांडागारण निगम अधिनियम, 1962 की धारा 18 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं केन्द्रीय भांडागारण निगम के अनुमोदन से उत्तराखण्ड राज्य हेतु "उत्तराखण्ड राज्य भांडागारण निगम" को दिनांक 01 अप्रैल, 2015 से गठित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. श्री राज्यपाल महोदय उक्त के अतिरिक्त यह भी निर्दिष्ट करते हैं कि उत्तराखण्ड राज्य भांडागारण निगम का मुख्यालय जिला ऊधमसिंह नगर में होगा।

आज्ञा से,

विजय कुमार ढौंडियाल,
प्रभारी सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification **No. 253/XIV-1/2015-9(4)/2010,** dated February 24, 2015 for general information.

NOTIFICATION

February 24, 2015

No. 253/XIV-1/2015-9(4)/2010--In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of the Section 63 of the Uttar Pradesh Reorganization Act, 2000 read with sub section (1) of section 18 of the Central Warehousing Act, 1962 and with the approval of Central Warehousing Corporation, the Governor of Uttarakhand is pleased to establish a Warehousing Corporation of the State on first day of April 2015, known as "Uttarakhand State Warehousing Corporation."

The Governor is further pleased to declare that the head office of the Uttarakhand State Warehousing Corporation shall be at District Udhamsingh Nagar.

By Order,

VIJAY KUMAR DHOUNDIYAL,

Prabhari Secretary.

भाषा विभाग

कार्यालय–ज्ञाप

03 मार्च, 2015 ई0

संख्या 210/XXXIX/2015–15(सा0)/2009–श्री राज्यपाल महोदय, उत्तराखण्ड भाषा संस्थान नियमावली, 2009, उत्तराखण्ड हिन्दी अकादमी नियमावली, 2009, उत्तराखण्ड पंजाबी अकादमी नियमावली, 2013 एवं उत्तराखण्ड उर्दू अकादमी नियमावली, 2013 में उल्लिखित भाषाओं के विकास, प्रचार–प्रसार एवं लोकप्रिय बनाने के साथ अन्य संगत उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सम्यक् विचारोपरांत देहरादून में एक आधुनिक संयुक्त पुस्तकालय की स्थापना किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. पुस्तकालय की स्थापना एवं उद्देश्य :

यह पुस्तकालय उत्तराखण्ड भाषा संस्थान, उत्तराखण्ड पंजाबी अकादमी, डॉ0 पी0ए0बी0 हिन्दी अकादमी एवं उत्तराखण्ड उर्दू अकादमी के संयुक्त स्वामित्व के रूप में जाना जायेगा। यह भाषा विकास के लिए कार्य कर रही डॉ0 पी0ए0बी0 हिन्दी अकादमी एवं उत्तराखण्ड भाषा संस्थान, उत्तराखण्ड दोनों संस्थाओं का प्रमुख बहुभाषिक एवं हिन्दी पुस्तकालयों में से एक होगा। यहां पर संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित 22 भाषाओं के साथ–साथ प्रदेश की लोकभाषाओं में विविध प्रकार के साहित्यिक ग्रंथों और संबद्ध विषयों की पुस्तकें उपलब्ध होंगी। पुस्तकालय में समालोचनात्मक पुस्तकों, अनुदित कृतियों, संदर्भ–ग्रंथों तथा राजभाषा हिन्दी, लोकभाषाओं के साथ–साथ देश की विभिन्न भाषाओं का संग्रह किया जायेगा। यहां प्रदेश के शोधरत, अध्ययनशील एवं लेखन कार्य की प्रतिभा रखने वाले जिज्ञासु छात्र लाभ उठा सकेंगे। यह पुस्तकालय समस्त भाषाओं का समृद्ध शब्दकोश के संग्रह के लिये जाना जायेगा।

पुस्तकालय में विभिन्न भाषाओं जिसमें राजभाषा और लोकभाषा सहित समस्त भाषाओं के साहित्य संग्रहों को लगभग संगणीकृत किया जायेगा। लोकभाषाओं, हिन्दी तथा अन्य सभी भाषाओं के पाठकों के लिये ऑनलाइन पुस्तकों की सूचियां कम्प्यूटर पर उपलब्ध रहेंगी। इसके साथ ही सर्वसाधारण की सुविधा के लिए पुस्तकों की कम्प्यूटर कैटलॉगिंग का कार्य भी शीघ्र प्रारम्भ किया जायेगा, तत्पश्चात् अन्य भागों को भी संगणीकृत किया जायेगा।

पुस्तकालय में सजिल्द साहित्यिक अद्यावधिक प्रकाशनों का भी एक लघु संग्रह होगा। पुस्तकालय में प्राप्त हुये अद्यावधिक का कार्य स्थापना वर्ष से चल रहा है। इंडियन लिटरेरी इंडेक्स के अन्तर्गत राजभाषा हिन्दी एवं अन्य भाषाओं जिसमें प्रदेश की लोकभाषाएं भी सम्मिलित हैं, की अब तक की सूचनाएँ कम्प्यूटर में उपलब्ध होंगी। अब तक की सूची निर्माण का कार्य ऑनलाइन कराया जायेगा, शेष कार्य राज्य की आवश्यकतानुसार राज्यहित में राज्य सरकार द्वारा किये जाते रहेंगे। साहित्यिक घटनाओं के समाचार के अंश, साहित्य तथा साहित्यकारों पर लिखे गये लेख भी पुस्तकालय में उपलब्ध होंगे।

हिन्दी को बढ़ावा देने एवं हिन्दी का क्षेत्र विस्तृत करने हेतु तथा अध्ययन/अध्यापन से जुड़े अधिकांश वर्ग को हिन्दी से जोड़ने हेतु साहित्य से भिन्न अन्य विषयों जैसे–तकनीकी, प्राविधिकी, विज्ञान, इतिहास, भूगोल आदि की पाठ्य पुस्तकों जो हिन्दी में लिखी गई हैं या अनुवादित/अनुदित कराई गई हैं तथा जिनका स्तर उच्च श्रेणी का है। ऐसी पुस्तकें भी इस पुस्तकालय का अंश होंगी तथा इस पुस्तकालय से उपरोक्त विषयों से सम्बन्धित विद्वान, शिक्षक, छात्र व पाठक लाभ प्राप्त कर सकेंगे। ऐसे कार्य अन्य भाषाओं के संदर्भ में उपयोगिता के दृष्टिगत राज्य सरकार की अनुमति के अधीन किये जा सकेंगे।

पुस्तकालय सभी कार्य दिवसों और शनिवार को पूर्वान्ह 9:30 से सांय 6:00 बजे तक खुला रहेगा।

प्रदेश की भाषाओं के साथ–साथ सभी भाषाओं के लिए कार्य करने वाली संस्थाओं का यह पुस्तकालय परामर्श तथा उधार दोनों के लिये अपनी सदस्यता प्रदान करेगा। हिन्दी भाषा से पुस्तकें उधार लेने हेतु ₹ 500 की प्रतिदेय सुरक्षा राशि, सदस्य से ली जायेगी। लोक–भाषाओं के खण्डों के लिये ₹ 1000 लिये जायेंगे। विद्यार्थियों से रियायती दरों पर ₹ 500 सुरक्षा राशि के रूप में लिये जायेंगे। दीर्घकालीन परामर्श हेतु सदस्यों से ₹ 200 की प्रतिदेय सुरक्षा राशि ली जायेगी। राज्य के अन्य पुस्तकालयों के लिये यह सम्पर्क सूत्र के रूप में कार्य करेगा। राज्य सरकार मुद्रास्फिति के तहत इसमें परिवर्तन कर सकेगी।

3. पुस्तकालय का समय :

पुस्तकालय सुबह 9:30 से सायं 6:00 बजे तक खुलेगा। रविवार को राजपत्रित अवकाश रहेगा।

4. सुविधायें :

(1) कई सूचियां वर्गों के लिये उपलब्ध हैं। कैटलॉग देवनागरी लिपि में है।

(2) OPEC सुविधा अंग्रेजी और हिन्दी दोनों वर्गों के लिये उपलब्ध है।

(3) पुस्तकालय में परामर्श/पढ़ने के लिए संसाधन उपलब्ध होंगे।

(4) छाया–प्रति की सुविधा उपलब्ध रहेगी।

(5) प्रवेश संघ सूची DELNET (DEVELOPING LIBRARY NETWORK) है।

5. प्रवेश और सदस्यता के नियम :

(1) पुस्तकालय की सुविधा केवल पंजीकृत सदस्यों के लिये होगी। रजिस्ट्रेशन शुल्क निम्नानुसार देय होगा :–

(क) राज्य सरकार/भारत सरकार/निगमों/स्वायतशासी संस्थाओं के कर्मचारी के लिये सदस्यता शुल्क ₹ 100 प्रतिवर्ष।

(ख) उत्तराखण्ड राज्य के वे छात्र जो शोधरत् एवं स्नातकोत्तर एम0फिल स्तर के हैं, के लिये सदस्यता शुल्क ₹ 50 प्रतिवर्ष।

(ग) उत्तराखण्ड राज्य/भारत सरकार/निगमों/स्वायत्तशासी संस्थाओं के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिये सदस्यता शुल्क ₹ 50 प्रतिवर्ष।

(2) पुस्तकालय में केवल व्यक्तिगत सदस्यता अनुमन्य होगी।

(3) सदस्यता वापस एक सुरक्षा जमा के भुगतान के साथ दिया जायेगा।

(4) सदस्यता आवश्यक संचालन काउन्टर और विधिवत् एक पासपोर्ट आकार के फोटो के साथ फार्म भर कर जमा करने पर ही उपलब्ध करायी जायेगी।

(5) सदस्यता के लिये वे छात्र, जो स्नातकोत्तर एम0फिल0 तक स्तर के हैं, को उनके फार्म विभागों के प्रमुखों द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिये। अन्य रूपों में राजपत्रित अधिकारी द्वारा अनुप्रमाणित हो सकता है, लिखित प्रमाणक सार्वजनिक के लिये फार्म स्वीकार नहीं किया जायेगा। डाक सदस्यता उपलब्ध नहीं होगी।

(6) पता, टेलिफोन नम्बर और मोहर छाप सुपाठ्य होनी चाहिये अन्यथा फार्म स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(7) सदस्यता नामांकन मंगलवार और शुक्रवार को सुबह 10:00 से सायं 4:00 बजे तक किया जायेगा।

(8) सदस्यता, देहरादून एवं राज्य के भीतर अन्य स्थानों, क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिये भी खुली रहेगी।

(9) पता और टेलीफोन नम्बर का परिवर्तन बिना सूचित किए नहीं किया जायेगा।

(10) प्रवेश के अत्याधुनिक प्राविधियों पर आधारित आधुनिक प्रवेश नियमों को भी भविष्य में समाहित किया जा सकेगा।

6. सुरक्षा जमा का विवरण :

(1) पुस्तकालय की किसी भी भाषा वर्ग की पुस्तकें जिसमें सभी वर्ग की पुस्तकें सम्मिलित हैं, अग्रिम ₹ 1000 जमा करने पर ली जा सकेंगी।

(2) हिन्दी भाषा की पुस्तकें ₹ 500 जमा करने पर ही उधार ली जा सकेंगी।

(3) पुस्तकालय में सुरक्षा जमा के रूप में स्नातकोत्तर और एम0फिल0 स्तर के छात्र से ₹ 500 के एक रियायती दर के पत्र जो उनके विभागों के प्रमुखों से अनुप्रमाणित होंगे, लिया जायेगा।

(4) व्यक्तियों द्वारा उनकी सेवा से सेवानिवृत्त के समय सुरक्षा के रूप में ₹ 500 का भुगतान किया जायेगा या सदस्यता समाप्ति पर सुरक्षा जमा वापस होगा।

(5) पुस्तक के बिना पुस्तकालय संसाधनों से परामर्श के लिये सुविधा ₹ 200 की सुरक्षा जमा के लिये देय होगा।

(6) भुगतान नकद में किया जायेगा तथा इस हेतु एक जमा कोष स्थापित किया जायेगा।

(7) सुरक्षा–जमा की वापसी के लिये अपेक्षित फार्म विधिवत् रूप से भरा जायेगा और नकदी रसीद के साथ प्रस्तुत की जायेगी।

7. अस्थायी प्रवेश :

(1) एक महीने के पुस्तकालय परामर्श के लिये ₹ 50 का भुगतान करना होगा। एक महीने से अधिक की अवधि के लिये पुस्तकें जारी नहीं की जायेंगी।

(2) सन् 1990 से पहले मुद्रित हुई संदर्भ पुस्तकें, महंगी पुस्तकें और दुर्लभ पुस्तकें उधार के लिये उपलब्ध नहीं होंगी।

(3) एक व्यक्ति केवल दो ही पुस्तकें एक बार में प्राप्त कर सकेंगे।

(4) किताबें एक महीने के लिये ही जारी की जायेंगी। अगर कोई अन्य सदस्य उस पुस्तक की मांग कर रहा है तो उसे नये सिरे से जारी किया जायेगा।

(5) अगर पुस्तकें दी गयी तारीख को वापस नहीं होती हैं तो प्रति पुस्तक प्रतिदिन की दर से ₹ 10 का विलम्ब शुल्क लिया जायेगा।

(6) अगर किताबें दो महीने या अधिक के लिये रखी हैं तथा उनका नवीनीकरण नहीं कराया गया है तो प्रति किताब ₹ 50 का जुर्माना तथा प्रतिदिन का अतिरिक्त चार्ज ₹ 10 प्रतिदिन किया जायेगा।

(7) किताबें सिर्फ सायं 5:30 बजे तक ही जारी की जायेगी।

8. खोई पुस्तकें और बेकार पुस्तकें :

पाठकों द्वारा यदि खराब की गई हो या खो गयी हों तो हानि या नुकसान की भरपाई के लिये नीचे उल्लिखित दर से प्रति पुस्तक का मूल्य वसूल किया जायेगा :–

प्रकाशन वर्ष	प्रतिपूर्ति की दर
1970–1979	लागत मूल्य और अतिरिक्त 200 प्रतिशत
1980–1990	लागत मूल्य और अतिरिक्त 125 प्रतिशत
1990–2000	लागत मूल्य और अतिरिक्त 75 प्रतिशत
2000–2010	लागत मूल्य और अतिरिक्त 50 प्रतिशत
2010–	लागत मूल्य और अतिरिक्त 25 प्रतिशत

अन्य वर्षों के लिये प्रतिपूर्ति शासन की पूर्वानुमति से निर्धारित की जा सकेगी।

9. फोटो :

(1) सम्पूर्ण पुस्तक की छायाप्रति केवल असाधरण मामलों में ही की जायेगी।

(2) सम्पूर्ण पुस्तक के केवल 10 प्रतिशत पृष्ठों की ही छायाप्रति की जायेगी।

(3) छायाप्रति केवल सायं 5:00 बजे तक ही की जायेगी।

10. फोटोकॉपी :

(1) ए–4 और एफएस प्रति ₹ 1

(2) ए–3 आकार के लिये ₹ 2

(3) कम्प्यूटर प्रिंटआउट के लिये शुल्क ₹ 5 प्रति पृष्ठ लिया जायेगा।

11. सामान्य नियम :

(1) पुस्तकालय उपयोगकर्ताओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसने पुस्तकालय के संसाधनों का ठीक से उपयोग किया है और अपनी एवं संस्था की गरिमा को और पर्यावरण को ठीक तरह से बनाये रखा है।

(2) किताबों का किसी प्रकार से दुरूपयोग नहीं किया जायेगा किताबों के भीतर किसी पाठ में रेखांकन और पुस्तकों के भीतर निजी टिप्पणियों की अनुमति नहीं है।

(3) पुस्तकालय में बोलना या किसी विषय पर चर्चा करना प्रतिबन्धित है।

(4) पढ़ने के कमरे केवल पढ़ने के लिये हैं न कि यहां बैठकर आराम करने, बात करने या सोने के लिये। यदि ऐसा पाया गया तो उसे पुस्तकालय से बाहर किया जायेगा।

(5) पाठक के सामने मेज पर किताबों का ढेर नहीं होना चाहिए।

(6) पुस्तकालय में सेल–फोन का प्रयोग प्रतिबन्धित है तथा पुस्तकालय में प्रवेश करते समय सेलफोन बंद किये जायेंगे।

(7) व्यक्तिगत पुस्तक को पुस्तकालय में लाने की अनुमति नहीं है।

(8) पाठक को सलाह दी जाती है कि वह पुस्तकालय के भीतर अपने व्यक्तिगत सामान या किसी भी प्रकार का बैग आदि न लायें। सामान के खोने की जिम्मेदारी पुस्तकालय की नहीं होगी।

12. सरकारी प्रकाशनों, पत्र–पत्रिकाओं एवं पुस्तकों की खरीद :

(1) सरकारी क्रियाकलापों में सुगमता से मानक शब्दों के प्रयोग को बढ़ावा मिले तथा उसे समझने के लिये पुस्तकालय में प्रकाशित सरकारी प्रकाशनों, पत्र–पत्रिकाओं रचित सभी प्रकार की पुस्तकें उपलब्ध हों, की खरीद के लिये शासन की सहमति से विशेषज्ञों की एक समिति गठित की जाएगी, जो हिन्दी अकादमी तथा अन्य संस्थाएं, जो भाषा के प्रचार–प्रसार एवं विकास में संलग्न हैं, उनके विकास के लिए विभिन्न भाषायी ग्रंथों की सूची तैयार कर सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त कर कार्रवाई की जायेगी।

(2) यदा–कदा यह भी संज्ञान में आता है कि कई कार्यालयों, पुस्तकालयों आदि में ललित–साहित्य की खरीद के नाम पर निम्न स्तर की पुस्तकें खरीदी जाती हैं, जो कि किसी भी पुस्तकालय में खरीदी जानी वांछित नहीं है। पुस्तकालय अनुदान का उपयोग केवल अच्छे स्तर की पुस्तकों की खरीद हेतु अपेक्षित है। विभाग द्वारा इस बात को बहुत गम्भीरता से लिया जायेगा। अतः यह निर्णय लिया गया है कि जहां तक ललित–साहित्य की खरीद का प्रश्न है, भारत सरकार के राजभाषा विभाग द्वारा समय–समय पर सभी मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों आदि को श्रेष्ठ स्तर की पुस्तकों की खरीद हेतु उपलब्ध कराई गई सूची तक ललित साहित्य की खरीद उन्हीं पुस्तक सूचियों तक सीमित रखी जायें, यदि इससे इतर खरीद की जानी आवश्यक है तो दोनों समाओं के अनुमोदन के उपरान्त खरीदी जायेंगी एवं खरीदने का जनहित एवं औचित्य अंकित किया जायेगा।

13. पुस्तकों का क्रय किया जाना :

भाषाओं के विकास हेतु निम्नलिखित प्रकार की पुस्तकें विशेष प्राथमिकता पर क्रय की जायेगी :–

(1) राजभाषा हिन्दी तथा लोकभाषाओं के साथ–साथ अन्य भाषाओं में काम करने के लिये संदर्भ–ग्रंथ जैसे शब्दकोष, शब्दावली, विभाग/कार्यालय के काम से सम्बन्धित विषयों पर लिखी हिन्दी में पुस्तकें आदि।

(2) ऐसी पुस्तकें जो सरल भाषा में और रोचक विषयों पर लिखी हों या सरल और लोकप्रिय समाचार–पत्र, पत्रिकाएं आदि जिनसे कर्मचारियों को राजभाषा हिन्दी एवं अन्य भाषाओं में पढ़ने लिखने की रूचि पैदा हो और वे सरल भाषा में बिना झिझक सरकारी कामकाज में हिन्दी का प्रयोग कर सकें।

(3) सरल और रोचक भाषा में लिखी गई पुस्तकें, पत्रिकाएं, रसाले आदि जिन्हें पढ़कर हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त करने वाले कर्मचारियों का ज्ञान बना रहे और वे समय के साथ इसे भूल न पायें।

(4) राज्य के अन्य पुस्तकालय में जहां वैज्ञानिक और तकनीकी प्रकार की हिन्दी में पर्याप्त संख्या में पुस्तकें उपलब्ध नहीं हैं तथा राज्य के विद्यार्थियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है तो सम्बन्धित विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर एक उच्चस्तरीय समिति के संस्तुतियों के क्रम में सक्षम स्तर के अनुमोदन से हिन्दी के प्रसार के निर्धारित लक्ष्य पूरा करने के लिये हिन्दी की शब्दावलियों, कार्यालयों, सहायिका/संदर्भ ग्रंथ/पुस्तकें आदि को खरीदी जा सकेंगी।

(5) मौलिक पुस्तक लेखन योजनाओं के अन्तर्गत पुरस्कृत और प्रकाशित पुस्तकें।

(6) पुस्तकों की खरीद उक्त (1) (4) तथा (5) के अनुसार की जायेगी, किन्तु (2) तथा (3) के अन्तर्गत साहित्य की खरीद के लिये पुस्तक चयन समिति द्वारा सूचियां उपलब्ध कराई जाएंगी तब सक्षम स्तर के अनुमोदन के पश्चात् खरीद की जायेगी। इस बीच जब तक कि उपर्युक्त सूचियां तैयार हों, साहित्य सम्बन्धी पुस्तकों की खरीद निम्नलिखित लेखकों की कृतियां तक ही सीमित रखी जाए :–

(क) कालिदास, भवभूति तथा बाणभट्ट के ग्रंथों को हिन्दी में अनुदित ग्रंथ।

(ख) रवीन्द्र नाथ ठाकुर, सचिदानन्द राउतराय, तारा शंकर बंधोपाध्याय, बंकिम चन्द्र चट्टोपाध्याय, कामिल बुल्के, पन्ना लाल पटेल, तकपी शिवशंकर पिल्लै मास्ति बेंकटेश अध्यंगार, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, बिमल मित्र, शरत् चन्द्र चट्टोपाध्याय, डॉ0 सुनीति कुमार चटर्जी, श्री राधा कुमुद मुखर्जी, एस0के0 पोट्टेकाट, वीरेन्द्र कुमार भट्टाचार्य, के0 शिवराम कारन्त, आशा पूर्णा देवी,गोपीनाथ महान्ती, द0रा0 बेन्द्रे, विष्णु दे, कृष्ण चन्दर, अमृत प्रीतम, विश्वनाथ सत्यनारायण, रघुपति सहाय, फिराक गोरखपुरी, कु0वु0 पुटप्पा, उमाशंकर जोशी, जी शंकर कुरूप, आर0के0 नारायण, वी0वा0 शिरवाडकर "कुसुमाग्रज", गुलाब दास ब्रोकर की पुस्तकों की हिन्दी में अनुदित कृतियां।

(ग) कबीर, सूरदास, गोस्वामी तुलसीदास, मलिक मोहम्मद जायसी, रहीम, रसखान, भारतेन्दु हरिश्चन्द्र, बालकृष्ण भट्ट, बालकृष्ण शर्मा "नवीन", मुंशी प्रेमचन्द्र, जय शंकर प्रसाद, सुभद्रा कुमारी चौहान, आचार्य रामचन्द्र शुक्ल, मैथिलीशरण गुप्त, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, सूर्यकान्त त्रिपाठी "निराला", सुमित्रानन्दन पंत, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह "दिनकर", सच्चिदानन्द हीरानन्द वात्स्यायन "अज्ञेय", जैनेन्द्र कुमार, भगवती चरण वर्मा, मोहन राकेश, अमृत लाल नागर, रांगेय राघव, आचार्य चतुरसेन, आचार्य नन्द दुलारे वाजपेयी, सोहन लाल द्विवेदी, डॉ0 लक्ष्मी नारायण मिश्र, गोविन्द बल्लभ पंत, नागार्जुन, डॉ0 शंकर शेष, इलाचन्द्र जोशी, गजानन माधव "मुक्तिबोध", फणीश्वर नाथ रेणु, वृन्दावन लाल वर्मा, वियोगी हरि, सेठ गोविन्द दास यशपाल, कवि गुमानी पंत की कविताओं का संग्रह एवं शोध साहित्य का संरक्षण, पाण्डुलिपि का संरक्षण आदि।

(7) इस पुस्तकालय के लिए समस्त, ग्रंथों की खरीद निर्धारित क्रय मूल्य में अधिकतम छूट प्राप्त कर किया जायेगा। गठित समिति द्वारा संस्तुत क्रय की जाने वाली सम्भावित पुस्तकों की खरीद के लिए/राज्य के उच्च स्तरीय पुस्तक भण्डारों से निविदा प्राप्त कर शासन के संज्ञान में लाकर नियत समिति की स्वीकृति के पश्चात् किया जायेगा।

(8) उत्तराखण्ड के लब्ध प्रतिष्ठित विद्वानों की कृतियां भी इस पुस्तकालय में सम्मिलित होंगी।

(9) प्रदेश के सभी विभागों से अनुरोध है कि वे पी0द0ब0 हिन्दी अकादमी/उत्तराखण्ड भाषा संस्थान तथा भाषा विभाग के अधीन आने वाली/गठित होने वाली ऐसी संस्थाएं जो भाषा क्षेत्र में कार्य करती हों, के साथ समन्वय स्थापित करते हुये उपर्युक्त अनुदेशों के अधीन प्रमुख रूप से हिन्दी एवं अन्य लोकभाषाओं के प्रचार–प्रसार में सहभागी बनें तथा सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों और सरकार के स्वामित्व/नियंत्रणाधीन कम्पनियों/उपक्रमों आदि के लिए अनुपालन सुनिश्चित किए जाने के लिए भाषा विभाग कार्य करेगा।

(10) इसके अतिरिक्त भाषा विभाग के नियंत्रणाधीन कार्यरत संस्थाओं के साथ–साथ भाषा के विकास, प्रचार–प्रसार तथा विकास में संलग्न सभी प्रकार की संस्थाएं इस नियम से आच्छादित होगी।

(11) राज्य सरकार चाहे तो क्रय समिति का रूप निर्धारण/पुनर्निर्धारण प्रत्येक वित्तीय वर्ष या विशेष वित्तीय वर्ष में कर सकेगी।

(12) राज्य सरकार पुस्तकालय को जनपयोगी एवं आधुनिक बनाने हेतु समय–समय पर निर्णय ले सकती है।

(13) पुस्तकों के क्रय हेतु एक समिति पृथक् से गठित की जाएगी, जिसमें भाषा विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव एवं अपर सचिव क्रमशः अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष होंगे। क्रय समिति राज्य तथा केन्द्र सरकार के प्रकाशनों एवं संयुक्त राष्ट्र विश्व बैंक तथा उनके अभिकरणों के जैसे यू0एन0डी0पी0, यू0एन0आई0डी0ओ0, डब्लू0एच0ओ0 आदि के प्रकाशनों के किसी भी सीमा तक क्रय के अनुमोदन करने के सक्षम होंगे।

आज्ञा से,

सी0एस0 नपलच्याल,
सचिव।

श्रम एवं सेवा अनुभाग

विज्ञप्ति/नियुक्ति

22 जनवरी, 2015 ई0

संख्या 136/VIII/14–51 (श्रम)/2014–उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा–2010 के अन्तर्गत सहायक श्रमायुक्त, वेतनमान ₹ 15,900–39,100, ग्रेड वेतन ₹ 5,400, में चयनित श्री अनिल कुमार यादव पुत्र श्री बासुदेव यादव, ग्राम महवारी (माठिया), पोस्ट रैन्डा, जिला आजमगढ़, उत्तर प्रदेश को एतद्द्वारा सहायक श्रमायुक्त के पद पर नियुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. श्री अनिल कुमार यादव की तैनाती सहायक श्रमायुक्त, अल्मोड़ा के रिक्त पद पर की जाती है।

3. नव नियुक्त उपरोक्त अधिकारी को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से वेतनमान ₹ 15,900–39,100, ग्रेड वेतन ₹ 5,400 के अतिरिक्त समय–समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते देय होंगे।

4. नव नियुक्त किये जा रहे उपरोक्त अधिकारी को दो वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रखा जायेगा, जिसे नियमानुसार बढ़ाया भी जा सकता है।

5. नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु अभ्यर्थी को किसी प्रकार का यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।

6. नियुक्ति स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित अधिकारी द्वारा निम्न प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने होंगे :–

(क) अभियोजन न चलाये जाने तथा न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने सम्बन्धी घोषणा–पत्र।

(ख) शैक्षिक योग्यता के प्रमाण–पत्रों की सत्यापित प्रतिलिपि।

(ग) सीक्रेट एक्ट की जानकारी होने का घोषणा–पत्र।

(घ) चल–अचल सम्पत्ति का घोषणा–पत्र।

(ङ) लिखित रूप से एक अन्डरटेकिंग कि यदि चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन के पश्चात् उन्हें सरकारी सेवा के लिये उपयुक्त नहीं पाया जाता है तो उनकी यह नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी, जिसके लिये वे किसी क्षतिपूर्ति के हकदार नहीं होंगे।

(च) स्वस्थता का प्रमाण–पत्र।

(छ) वैवाहिक/अवैवाहिक होने सम्बन्धी घोषणा–पत्र।

(ज) ऐसे दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण–पत्र, जो सक्रिय सेवा में हों जो अधिकारी से परिचित हों तथा उनके सम्बन्धी एवं रिश्तेदार न हों।

(झ) केन्द्र/राज्य सरकार के अधीन की गयी सेवाओं का घोषणा–पत्र।

आज्ञा से,

रमेश कुमार,
संयुक्त सचिव।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 17 हिन्दी गजट/195–भाग 1–2015 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2012–14
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 25 अप्रैल, 2015 ई0 (बैशाख 05, 1937 शक सम्वत्)

भाग 1–क

नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

कार्यालय, आयुक्त कर, उत्तराखण्ड
(विधि–अनुभाग)

18 फरवरी, 2015 ई0

समस्त असिस्टेन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर,
समस्त वाणिज्य कर अधिकारी, उत्तराखण्ड।

पत्रांक 5355/आयु0कर0उत्तरा0/वाणि0क0/विधि–अनु0/14–15/दे0दून–वाणिज्य कर विभाग में पंजीकृत व्यापारी तथा ऐसे व्यापारी जिनके द्वारा नियमित रूप से रिटर्न दाखिल किये जा रहे हैं, की संख्या के अन्तर को देखते हुये ऐसा प्रतीत होता है कि काफी संख्या में ऐसे व्यापारी हैं, जिनके द्वारा पंजीयन प्राप्त कर लिया गया है किन्तु नियमित रूप से रिटर्न दाखिल नहीं किये जा रहे हैं। इन व्यापारियों में काफी संख्या में ऐसे संविदाकार हैं, जिन्होंने किसी विभाग में टेंडर जमा किये जाने हेतु पंजीयन प्राप्त कर लिया था किन्तु टेंडर न मिलने के कारण उनके द्वारा पंजीयन निरस्त नहीं कराया गया एवं रिटर्न भी दाखिल नहीं किए गए हैं, जिसके कारण अनावश्यक रूप से ये विभागीय रिकार्ड पर बने रहे हैं तथा उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत नियमित रूप से इनका कर निर्धारण भी किया जाता है। उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम की धारा–15(1) के अनुसार "कोई व्यौहारी या व्यक्ति जो कारोबार कर रहा है और इस अधिनियम के अधीन भुगतान का दायी है, ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति के अनुसार, जैसा कि विहित किया जाए, अपने आप को पंजीकृत कराएगा।"

दिनांक 02.01.2015 को माननीय मुख्यमंत्री जी की राजस्व समीक्षा बैठक में इस आशय की सहमति बनी थी कि ऐसे ठेकेदार, जिनके द्वारा सिर्फ टेंडर डालने हेतु पंजीयन प्राप्त किया जाता है, को पंजीयन दिये जाने का कोई औचित्य नहीं है। वास्तव में उन्हें जब तक ठेका मिल नहीं जाता है तब तक पंजीयन नहीं दिया जाना चाहिए।

अतः, यह निर्देश दिये जाते हैं कि ठेकेदारों के मामले में जब यह पाया जाए कि उनके द्वारा सिर्फ टेंडर डालने हेतु पंजीयन लिया जा रहा है, पंजीयन जारी न किया जाए किन्तु यदि किसी ठेकेदार को ठेका मिल गया है तो उसे समस्त औपचारिकताएं पूरी होने पर उसी कार्य दिवस में पंजीयन जारी कर दिया जाए।

दिलीप जावलकर,
आयुक्त कर,
उत्तराखण्ड।

(फार्म–अनुभाग)

विज्ञप्ति

19 फरवरी, 2015 ई0

पत्रांक 5396/आयु0क0उत्तरा0/फार्म–अनु0/2014–15/केन्द्रीय फार्म–सी/खोया/चोरी/नष्ट हुए/दे0दून–केन्द्रीय बिक्रीकर (उत्तराखण्ड) नियमावली, 2006 के नियम–8(13) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके, मैं, आयुक्त कर, उत्तराखण्ड निम्नलिखित सूची में उल्लिखित "फार्म–सी/एफ", जिनके खो जाने/चोरी हो जाने अथवा नष्ट हो जाने के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त हुई है, को सार्वजनिक प्रकाशनार्थ अनुमति प्रदान करते हुए इन फार्म्स के प्रयोग को अवैध घोषित करता हूँ :–

क्र0 सं0	व्यापारी का नाम, पता व टिन नं0	खाये/चोरी/नष्ट हुए फार्मों की संख्या	खाये/चोरी/नष्ट हुए फार्मों की सीरीज/क्रमांक	फार्म को अवैध घोषित किये जाने का कारण
1.	सर्वश्री राज गिफ्ट सेन्टर, 20, सिविल लाईन, रुड़की, टिन नं0–05004321278	(Form-C)–01	U.K. VAT-C-2007 1282127	खोने के कारण
2.	सर्वश्री संजीव डिस्ट्रीब्यूटर्स, I[st] फ्लोर, रेलवे रोड, बसन्त विहार कॉलोनी, ज्वालापुर, हरिद्वार, टिन नं0–05001915775	(Form-C)–02	U.K. VAT/C-2007 1255583, 1255584	खोने के कारण
3.	सर्वश्री एम0के0 प्रिन्ट पैक इण्डस्ट्रीज, जी0–2/3/4, इण्ड0 एरिया, बहादराबाद, टिन नं0–05009737467	(Form-C)–01	U.K. VAT/C-2012 0186605	खोने के कारण
4.	सर्वश्री पराग इण्डस्ट्रीज (इण्डिया) प्रा0लि0, इण्ड0 एरिया, लांघा रोड, देहरादून, टिन नं0–05005662788	(Form-C)–02	U.K. VAT/C-2007 1368298, 1368299	खोने के कारण
5.	सर्वश्री गढ़वाल फूड्स प्रोडक्टस, 3852, माजरी ग्रान्ट, लाल तप्पड, देहरादून, टिन नं0–05010835022	(Form-C)–05	U.K. VAT/C-2007 1464040, 1464041, 1464661, 1464663, 1464664	खोने के कारण
6.	सर्वश्री ऐश पेन्ट्स एण्ड कैमिकल, काशीपुर, टिन नं0–05009847271	(Form-C)–01	U.K. VAT/C-2007 941101	खोने के कारण
7.	सर्वश्री प्राईम्स सिस्टम्स, लोहरियासाल मल्ला, हल्द्वानी, टिन नं0–05001826230	(Form-C)–01	U.A.VAT/D(T)-2006 087761	खोने के कारण
8.	सर्वश्री हबीब ट्रेडर्स, मोहल्ला कड़च्छ रोड, जवालापुर, हरिद्वार, टिन नं0–05001806068	(Form-F)–08	U.K. VAT/F-2007 149350 to 149357	खोने के कारण

दिलीप जावलकर,
आयुक्त कर,
उत्तराखण्ड।

NOTIFICATION

February 19, 2015

No. 5396/Com.Tax/Form/Lost/Stolen/Destroyed/2014-15/D.Dun--WHEREAS, information have been received regarding Lost/Stolen/Destroyed "Form-C/F" enlisted below :

I, Commissioner, Tax, Uttarakhand in exercise of the powers conferred by Rule 8(13) of Central Sales Tax (Uttarakhand) Rules, 2006, hereby declare that " Form-C/F" bearing serial no. as listed below, should be considered as invalid for all purposes.

Sl. No.	Name, Address and Tin No. of Dealers	No. of Lost/Stolen/ Destroyed Forms	Sl. No. of Lost/Stolen or Destroyed Forms	Reasons for declaring the forms obsolete or invalid
1.	M/s Raj Gift Center, 20, Civil Line, Roorkee, Tin No. 05004321278	(Form-C)--01	U.K. VAT-C-2007 1282127	Lost
2.	M/s Sanjeev Distributors, Ist Floor, Railway Road, Basant Vihar Colony, Jawalapur, Haridwar, Tin No.-05001915775	(Form-C)--02	U.K. VAT/C-2007 1255583, 1255584	Lost
3.	M/s M.K. Print Pack Industries, G-2/3/4, Industrial Area, Bahadrabad, Haridwar, Tin No.-05009737467	(Form-C)--01	U.K. VAT/C-2012 0186605	Lost
4.	M/s Parag Ind. (India) Pvt. Ltd. Unit-II, Indl. Area, Langha Road, Dehradun, Tin No.-05005662788	(Form-C)--02	U.K. VAT/C-2007 1368298, 1368299	Lost
5.	M/s Garhwal Foods Products, 3852 Majri Grant, Lal Tappad, Dehradun, Tin No.-05010835022	(Form-C)--05	U.K. VAT/C-2007 1464040, 1464041, 1464661, 1464663, 1464664	Lost
6.	M/s Ess Paints and Chemical, Kashipur, Tin No.-05009847271	(Form-C)--01	U.K. VAT/C-2007 941101	Lost
7.	M/s Primus System, Lohariasal Malla, Haldwani, Tin No.--05001626230	(Form-C)--01	U.A.VAT/D(T)-2006 087761	Lost
8.	M/s Habib Traders, Mohalla Kadach Road, Jawalapur, Haridwar, Tin No.-05001806068	(Form-F)--08	U.K. VAT/F-2007 149350 to 149357	Lost

DILIP JAWALKAR,
Commissioner Tax,
Uttarakhand.

कार्यालय, सम्भागीय परिवहन अधिकारी, देहरादून सम्भाग, देहरादून

आदेश

23/26 फरवरी, 2015 ई0

संख्या 667/प्रशासन/लाइसेंस/2015–विभिन्न प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा चालन अनुज्ञप्ति के विरूद्ध की गयी कार्यवाही की संस्तुति पर लाइसेंसधारकों को सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया। लाइसेंसधारकों द्वारा कोई पक्ष प्रस्तुत न किये जाने के कारण उनकी चालन अनुज्ञप्तियों के विरूद्ध निम्नवत् कार्यवाही की गयी है :–

क्र0 सं0	लाइसेंसधारक का नाम व पता	लाइसेंस संख्या/श्रेणी एवं वैधता	संस्तुतिकर्ता अधिकारी	अभियोग	कृत कार्यवाही
1	2	3	4	5	6
1.	श्री वाजिद हुसैन पुत्र श्री अमीर हसन, 251, गोविंद गढ़, आजाद कॉलोनी, देहरादून	यूए–0720110167824, मोटर साईकिल एवं परिवहन यान, पीएसवी बस दिनांक 23–04–2017 तक वैध	सहा0 संभा0 परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), देहरादून	25 के स्थान पर 50 सवारियां	23–02–15 से 22–04–15 तक निलंबित
2.	श्री इंद्रजीत सिंह पुत्र श्री प्रेम सिंह, आदर्श कॉलोनी, नेहरूग्राम, देहरादून	यूके–0720060220587, मोटर साईकिल हल्का परिवहन यान, दिनांक 31–08–2015 तक वैध	सहा0 संभा0 परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), देहरादून	07 के स्थान पर 11 फुटकर सवारी ले जाना	23–02–15 से 22–03–15 तक निलंबित
3.	श्री सुरेन्द्र पुत्र श्री आनन्द प्रकाश, 174, इंद्रेश नगर, देहरादून	यूए–0720090074609, मोटर साईकिल, परिवहन यान, पीएसवी बस, दिनांक 21–09–2015 तक वैध	सहा0 संभा0 परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), देहरादून	08 के स्थान पर 13 फुटकर सवारी होना, चालक कक्ष में 03 सवारी बैठे होना	23–02–15 से 08–04–15 तक निलंबित
4.	श्री दीपक थापा पुत्र श्री विजय बहादुर, रांझावाला, रायपुर, देहरादून	यूए–0719940158604, हल्का परिवहन यान, दिनांक 21–02–2016 तक वैध	सहा0 संभा0 परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), देहरादून	बस में निर्धारित क्षमता से 04 सवारियां अधिक होना, 1 सवारी दरवाजे पर लटकी होना	23–02–15 से 09–03–15 तक निलंबित
5.	श्री आदित्य चौधरी पुत्र श्री राजेन्द्र चौधरी 27, चमन विहार, लेन–3, देहरादून	यूए–0720100118645, मोटर साईकिल एवं हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) वैधता 12–07–2030 तक	थानाध्यक्ष, थाना राजपुर, देहरादून	तेजगति व लापरवाही से वाहन चलाकर दुर्घटना करना संचालित वाहन में 02 व्यक्तियों की मृत्यु	निरस्त किया गया
6.	श्री दीपक राणा पुत्र श्री एस0 एस0 राणा, 01 चार्ली विला, मसूरी, देहरादून	यूए–0720080048357, मोटर साईकिल एवं हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) वैधता 06–07–2028 तक	थानाध्यक्ष, थाना राजपुर, देहरादून	तेजगति व लापरवाही से वाहन चलाना। एक व्यक्ति को टक्कर मारकर मृत्युकारित करना	निरस्त किया गया

1	2	3	4	5	6
7.	श्री अनिल चौहान पुत्र श्री जीत सिंह, 21, शिवर धरान्ता, देहरादून	यूए–0720110143753, मोटर साईकिल एवं परिवहन यान, पीएसवी बस, वैधता 02–05–2015 तक	सहा0 संभा0 परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), विकासनगर	14 के सापेक्ष 18 सवारियां ले जाना, छत पर 02 सवारियां होना	23–02–15 से 08–04–15 तक निलंबित
8.	श्री अरविन्द पुत्र श्री रवि दत्त, 09, बांगी कोठी, त्यूनी, देहरादून	यूए–0720080046697, मोटर साईकिल एवं परिवहन यान, पीएसवी बस, वैधता 09–05–2016 तक	सहा0 संभा0 परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), विकासनगर	09 के सापेक्ष 16 सवारियां ले जाना, वाहन की छत पर 06 सवारियां ले जाना	23–02–15 से 02–06–15 तक निलंबित
9.	श्री सुलेमान पुत्र श्री हमीद, 28/21, पहाड़ी गली, विकासनगर, देहरादून	यूए–0720050171038, मोटर साईकिल एवं हल्का परिवहन यान	सहा0 संभा0 परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), विकासनगर	07 के सापेक्ष 13 सवारियां ले जाना, चालक कक्ष में 04 सवारियां बैठाना	23–02–15 से 22–05–15 तक निलंबित
10.	श्री गजेन्द्र सिंह राणा पुत्र श्री भगत सिंह राणा, 20, लोरली, पो0–लोनली, चकराता देहरादून	यूए–0720120190608, मोटर साईकिल एवं हल्का परिवहन यान, वैधता दिनांक 10–06–2016 तक वैध है	सहा0 संभा0 परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), विकासनगर	05 के सापेक्ष 13 सवारियां ले जाना, छत पर 04 सवारियां बैठाना	23–02–15 से 22–05–15 तक निलंबित

संदीप सैनी,
लाइसेंसिंग प्राधिकारी/
सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी
(प्रशासन), देहरादून।

कार्यालय, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, रूद्रपुर, ऊधमसिंह नगर

कार्यालय आदेश

31 जनवरी, 2015 ई0

पत्रांक 1589/टी0आर0/पंजी0नि0/डीएल1जीए–9363/2015–वाहन संख्या डीएल1जीए–9363(ट्रक), मॉडल 1990, चेसिस संख्या 364052338816 तथा इंजन संख्या 692D02349384, कार्यालय में श्री कमल सिंह पतवाल पुत्र श्री श्यामसुन्दर सिंह, निवासी जवाहर नगर, नगला किच्छा, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है। वाहन स्वामी ने दिनांक 27.01.2015 को आवेदन–पत्र के साथ वाहन की मूल चेसिस नं0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया है कि उनका वाहन मार्ग पर संचालन योग्य न रहने के कारण वाहन को स्क्रेब में विक्रय करना चाहता है साथ ही वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है। कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर 31.01.2015 तक जमा है। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः, मैं, नन्द किशोर, पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग, ऊधमसिंह नगर, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 55(2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए वाहन संख्या डीएल1जीए–9363 (ट्रक) का पंजीयन चिन्ह एवं चेसिस संख्या 364052338816, तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

कार्यालय आदेश

26 फरवरी, 2015 ई0

पत्रांक 1677/टी0आर0/पंजी0नि0/डीएल1एलबी–4337/2015–वाहन संख्या डीएल1एलबी–4337(ट्रक), मॉडल 1995, चेसिस संख्या 357010FUQ817611 तथा इंजन संख्या 497SP21FUQ747708, कार्यालय में श्री अशोक कुमार जैन पुत्र श्री मुकन्दी लाल जैन, निवासी म0 नं0 330, आवास विकास, रूद्रपुर, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है। वाहन स्वामी ने दिनांक 18.02.2015 को आवेदन–पत्र के साथ वाहन की मूल चेसिस नं0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया है कि उनका वाहन मार्ग पर संचालन योग्य न रहने के कारण वाहन को स्क्रेब में विक्रय करना चाहता है, साथ ही वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है। कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर 28.02.2015 तक जमा है। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः, मैं, नन्द किशोर, पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग, ऊधमसिंह नगर, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 55(2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए वाहन संख्या डीएल1एलबी–4337 (ट्रक) का पंजीयन चिन्ह एवं चेसिस संख्या 357010FUQ817611, तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

कार्यालय आदेश

26 फरवरी, 2015 ई0

पत्रांक 1678/टी0आर0/पंजी0नि0/यूके06सीए–3124/2015–वाहन संख्या यूके06सीए–3124 (ट्राली), मॉडल 2011, चेसिस संख्या 11UK06012070 कार्यालय में श्री स्वर्ण सिंह पुत्र श्री बन्ता सिंह, निवासी गुसरी नानकमत्ता, सितारगंज, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है। वाहन स्वामी ने दिनांक 24.02.2015 को आवेदन–पत्र के साथ वाहन की मूल चेसिस नं0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया है कि उनका वाहन मार्ग पर संचालन योग्य न रहने के कारण वाहन को स्क्रेब में विक्रय करना चाहता है, साथ ही वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है। कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर 31.03.2015 तक जमा है। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है तथा वाहन का मार्ग परमिट सचिव, सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, हल्द्वानी द्वारा समर्पण/निरस्त/जारी करने हेतु उनके कार्यालय की आख्या अंकित है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः, मैं, नन्द किशोर, पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग, ऊधमसिंह नगर, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 55(2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए वाहन संख्या यूके06सीए–3124(ट्राली), का पंजीयन चिन्ह एवं चेसिस संख्या 11UK06012070, तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

कार्यालय आदेश

26 फरवरी, 2015 ई0

पत्रांक 1679/टी0आर0/पंजी0नि0/यूपी20ई–1653/2015–वाहन संख्या यूपी20ई–1653 (ट्रक), मॉडल 1999, चेसिस संख्या 357010KQQ820353 तथा इंजन संख्या 497SP21KQQ767573, कार्यालय में श्री अशोक जैन पुत्र श्री मुकन्दी लाल जैन, निवासी आवास विकास, रूद्रपुर, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है। वाहन स्वामी ने दिनांक 18.02.2015 को आवेदन–पत्र के साथ वाहन की मूल चेसिस नं0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया है कि उनका वाहन मार्ग पर संचालन योग्य न रहने के कारण वाहन को स्क्रेब में विक्रय करना चाहता है, साथ ही वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है। कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर 28.02.2015 तक जमा है। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः, मैं, नन्द किशोर, पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग, ऊधमसिंह नगर, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 55(2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए वाहन संख्या यूपी20ई–1853 (ट्रक), का पंजीयन चिन्ह एवं चेसिस संख्या 357010KQQ820353, तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

कार्यालय आदेश

26 फरवरी, 2015 ई0

पत्रांक 1680/टी0आर0/पंजी0नि0/यूके06एन–0921/2015–वाहन संख्या यूके06एन–0921(LMV CAR), मॉडल 2009, चेसिस संख्या MA3ECA12S02790609 तथा इंजन संख्या F8BIN4197998, कार्यालय में श्री चन्दन सिंह रजवार पुत्र श्री राजेन्द्र सिंह रजवार, निवासी झॉ कॉलोनी, पन्तनगर, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है। वाहन स्वामी ने दिनांक 25.02.2015 को आवेदन–पत्र के साथ वाहन की मूल चेसिस नं0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया है कि उनका वाहन मार्ग दुर्घटना में क्षति ग्रस्त होने के कारण मार्ग पर संचालन योग्य न रहने के कारण वाहन को स्क्रेब में विक्रय करना चाहता है, साथ ही वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है। कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर एक बारीय जमा है। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः, मैं, नन्द किशोर, पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग, ऊधमसिंह नगर, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 55(2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए वाहन संख्या यूके06एन–0921(LMV CAR), का पंजीयन चिन्ह एवं चेसिस संख्या MA3ECA12S02790609, तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

नन्द किशोर,
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी,
रूद्रपुर, ऊधमसिंह नगर।

कार्यालय, प्रधानाचार्य, राजकीय पॉलिटेक्निक, मूनाकोट (पिथौरागढ़)

कार्यभार ग्रहण आदेश

15 जनवरी, 2015 ई0

पत्रांक सं0 304–10/स्था0/2014–15–उत्तराखण्ड शासन के प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा अनुभाग के पत्रांक सं0–1004(4)/XLI-1/14–104/14, देहरादून, दिनांक 03 जनवरी, 2015 के आदेशानुसार क्र0 सं0 03 पर अंकित अभ्यर्थी श्रीमती अंशिका गुप्ता ने प्रवक्ता, मैकेनिकल, वेतन बैण्ड ₹ 15,600–39,100, ग्रेड वेतन ₹ 5,400 के पद पर इस संस्था में आज दिनांक 15–01–2015 के पूर्वाह्न में कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

कार्यभार ग्रहण आदेश

23 जनवरी, 2015 ई0

पत्रांक सं0 326–32/स्था0/2014–15–उत्तराखण्ड शासन के प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा अनुभाग के पत्रांक सं0–1004(1)/XLI-1/14–104/14, देहरादून, दिनांक 03 जनवरी, 2015 के आदेशानुसार क्र0 सं0 06 पर अंकित अभ्यर्थी श्रीमती चेतना चौहान धपोला ने प्रवक्ता, रसायन, वेतन बैण्ड ₹ 15,600–39,100, ग्रेड वेतन ₹ 5,400 के पद पर इस संस्था में आज दिनांक 23–01–2015 के पूर्वाह्न में कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

प्रदीप कुमार,
प्रधानाचार्य,
राजकीय पॉलिटेक्निक,
मूनाकोट (पिथौरागढ़)।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 17 हिन्दी गजट/195–भाग 1–क–2015 (कम्प्यूटर/रीजियो)।
मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकृत संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2012–14
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 25 अप्रैल, 2015 ई0 (बैशाख 05, 1937 शक सम्वत्)

भाग 8

सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि

कार्यालय, नगर पालिका परिषद्, कोटद्वार (पौड़ी गढ़वाल)

30 दिसम्बर, 2014 ई0

संख्या–यूजर चार्जेज / ठोस अप0 / उपनियम / 2012–1–नगरपालिका परिषद्, कोटद्वार (गढ़वाल) ने यू0पी0 म्युनिसिपलिटीज ऐक्ट, 1916 (यथा संशोधित) की धारा 298(1) (एक) की सूची–1 शीर्षक 'झ' स्वच्छता और रोग निवारण के खण्ड (घ) के अधीन अपनी सीमान्तर्गत नगर को स्वच्छ बनाये रखने और ठोस अपशिष्ट (प्रबन्ध एवं हथालन) नियम, 2000 को प्रभावी ढंग से लागू करने के उद्देश्य से बोर्ड की बैठक दिनांक 05.12.2012, प्रस्ताव सं0 4 के अनुसार उपविधियों पर स्वीकृति प्रदान की गयी थी। उपविधियों को म्यु0 ऐक्ट, 1916 की धारा 301(1) के अनुरूप समस्त प्रभावित व्यक्तियों के सूचनार्थ आपत्तियां एवं सुझाव आमंत्रित करने के उद्देश्य से दैनिक 'शाह टाइम्स', दिनांक 13 दिसम्बर, 2012 के अंक में प्रकाशित किया गया था। निर्धारित समयान्तर्गत कोई आपत्तियां या सुझाव प्राप्त नहीं हुए। बोर्ड के विशेष प्रस्ताव सं0 4, दिनांक 24.05.2013 के द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी है।

अतः नगरपालिका अधिनियम–1918 (यथा संशोधित) की धारा 298(2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उक्त उपविधियों को उत्तराखण्ड शासकीय साधारण गजट में प्रकाशन की तिथि से लागू किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

अध्यक्ष,
नगर पालिका परिषद्,
कोटद्वार।

उपविधि

1. संक्षिप्त प्रारम्भ और लागू होना।

2. यह उपविधि नगर पालिका परिषद्, कोटद्वार, की नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन उपविधि–2012 कहलायेगी।

3. यह उपविधि नगर पालिका परिषद्, कोटद्वार, की सीमान्तर्गत प्रवृत्त होगी तथा शासकीय गजट में प्रकाशन की तिथि में प्रभावी होगी।

4. परिभाषाएं–(1) जब तक इस विषय या प्रसंग से कोई बात प्रतिकूल न हो इस उपविधि में–

(i) 'अधिनियम' का तात्पर्य उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम, 1916 (यथा संशोधित) से है ;

(ii) 'नगर पालिका परिषद्' का तात्पर्य नगर पालिका परिषद्, कोटद्वार से हैं ;

(iii) 'नगर पालिका परिषद्' का तात्पर्य उस सीमा क्षेत्र से है, जो कि शासकीय विज्ञप्ति सं0 822 / xi–37–46, दिनांक 10 मार्च, 1949 के अन्तर्गत शासकीय गजट में कोटद्वार नगर की सीमा के लिए प्रकाशित व अधिसूचित की गई हैं ;

(iv) 'अधिशासी अधिकारी' का तात्पर्य नगर पालिका परिषद्, कोटद्वार (गढ़वाल) के अधिशासी अधिकारी से है ;

(v) 'सफाई निरीक्षक' का तात्पर्य नगर पालिका कोटद्वार, के सफाई निरीक्षक से हैं ;

(vi) 'अध्यक्ष' का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो कोटद्वार, नगर की जनता द्वारा पालिका बोर्ड का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया हो ;

(vii) 'पालिका बोर्ड' का तात्पर्य नगर पालिका परिषद्, कोटद्वार के निर्वाचित सदस्यों की कमेटी से है तथा ऐसी कमेटी के भंग हो जाने की स्थिति में प्रशासन या उनके द्वारा प्रतिनिधानित व्यक्ति से है ;

(viii) 'नगरीय ठोस अपशिष्ट' का तात्पर्य ऐसे औद्योगिक परिसंकटमय अपशिष्टों को छोड़कर किन्तु उपचारित जैव चिकित्सकीय अपशिष्टों की सम्मिलित करते हुए ठोस या अर्द्धठोस रूप से नगरीय/अधिसंचित क्षेत्रों में पैदा किया जाने वाला वाणिज्यिक तथा आवासीय अपशिष्ट से है ;

(ix) 'निरीक्षण अधिकारी' का तात्पर्य पालिका के सफाई निरीक्षक या ऐसे अधिकारी/कर्मचारी से है, जिन्हे समय–समय पर अधिशासी अधिकारी के आदेश से निरीक्षण के लिए अधिकृत किया गया हो ;

(x) 'नियम' का तात्पर्य भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं0 848 नई, मंगलवार, दिनांक 03 अक्टूबर, 2000, असाधारण अधिसूचना, नई दिल्ली, दिनांक 25 सितम्बर, 2000, के द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबन्धन और हथालन) नियम–2000 से है ;

(xi) 'जीव नाशित/जैव निम्नकरणीय/जैविक अपशिष्ट (Biodegradable waste)' से तात्पर्य ऐसे अपशिष्ट से है, जिसका सूक्ष्म जीवों द्वारा निम्नकरण किया जा सकता है, जैसे–बचा हुआ खाना, सब्जी के छिलके, फूल पौधों के पत्ते आदि से है ;

(xii) 'जीव अनाशित अपशिष्ट (Non-Biodegradable waste)' का तात्पर्य ऐसे कूड़ा–कचरा सामग्री से है, जो जीव नाशित कूड़ा–कचरा नहीं है और इसके अन्तर्गत प्लास्टिक भी है ;

(xiii) 'पुनर्चक्रणीय अपशिष्ट (Reaclable waste)' का तात्पर्य ऐसे अपशिष्ट से हैं जो दुबारा किसी भी प्रकार सीधे अथवा किसी विधि से परिवर्तन उपरान्त प्रयोग में आ सकता हो, जैसे–प्लास्टिक, पॉलीथिन, कागज, धातु, रबड़ आदि ;

(xiv) 'जैव चिकित्सीय अपशिष्ट (Biomedical waste)' से कोई अपशिष्ट अभिप्रेत है, जिसका जनन मानवों व पशुओं के निदान, उपचार या प्रतिरक्षीकरण के दौरान या उनके सम्बन्धित किसी अनुसंधान क्रिया–कलापों या जैविकों के उत्पादन या परीक्षण के दौरान हुआ हो ;

(xv) 'संग्रहण (Collection)' से तात्पर्य अपशिष्ट के उत्पत्ति स्थल सग्रहण बिन्दुओं तथा किसी अन्य स्थान से ठोस अपशिष्ट को उठाया जाना अभिप्रेत है ;

(xvi) 'कचरा खाद बनाना (Composting)' से एक ऐसी नियंत्रित प्रक्रिया अभिप्रेत है, जिसमें कार्बनिक पदार्थ का सूक्ष्म जैवीय निम्नकरण अन्तर्निहित है ;

(xvii) 'ढहान तथा निर्माण सम्बन्धी अपशिष्ट (Demolition and construction waste)' से तात्पर्य सन्निर्माण, पुनर्निर्माण, मरम्मत और ढहान सम्बन्धी संक्रिया के परिणामस्वरूप निर्माण सामग्री रोडियों, कंकड़–पत्थर और मलवे से उद्भूत अपशिष्ट अभिप्रेत है ;

(xviii) 'व्ययन (Disposal)' से तात्पर्य भूजल सतही जल तथा परिवेशी वायु गुणता को प्रदूषण से बचाने हेतु आवश्यक सावधानी से नगरीय ठोस अपशिष्ट का अन्तिम रूप से व्ययन अभिप्रेत है ;

(xix) 'अपशिष्टों के उत्पादन (Generator of waste)' का तात्पर्य नगरीय ठोस अपशिष्ट का उत्पादन करने वाले व्यक्ति या स्थापन अभिप्रेत है ;

(xx) 'भूमिभरण (landfilling)' से भूजल, सतह जल का प्रदूषण और वायु के साथ उड़ने वाली धूल, हवा के साथ उड़ने वाला कूड़ा, बदबू, आग के खतरे, पक्षियों का खतरा, नाशी जीव/कृन्तक, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, ढाल अस्थिरता और कटाव के लिए संरक्षात्मक उपायों के साथ डिजाइन की गई सुविधा में अपशिष्ट, ठोस अपशिष्ट का भूमि भरण पर निपटान अभिप्रेत है ;

(xxi) 'निक्षालितक (leachate)' से वह द्रव्य अभिप्रेत है, जिसका ठोस अपशिष्ट या अन्य माध्यम से रिसाव हुआ है तथा जिसने इसमें से धुलित अथवा निलम्बित पदार्थ का निष्कर्षण किया है ;

(xxii) 'नगर पालिका प्राधिकारी (Municipal Authority)' नगर पालिका परिषद्, जिसके अन्तर्गत अधिसूचित क्षेत्र समिति (एन0ए0सी0) अथवा सुसंगत कानूनों के अन्तर्गत गठित कोई अन्य स्थानीय निकाय अभिप्रेत है, जहाँ नगरीय ठोस अपशिष्ट का प्रबन्धन और हथालन ऐसे किसी अभिकरण को सौपा जाता है ;

(xxiii) 'स्थानीय प्राधिकारी (Local Authority)' का तात्पर्य तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित नगर पालिका नगर पंचायत, जिला पंचायत क्षेत्र पंचायत या ग्राम पंचायत से है ;

(xxiv) 'नगरीय ठोस अपशिष्ट (Municipal solid waste)' के अन्तर्गत औद्योगिक परिसंकटमय (hazardous) अपशिष्टों को छोड़कर किन्तु उपचारिक जैव चिकित्सीय अपशिष्टों को सम्मिलित करते हुए ठोस या अर्द्धठोस रूप से नगरीय/अधिसूचित क्षेत्रों में पैदा किया जाने वाला वाणिज्यिक तथा आवासीय अपशिष्ट आता है ;

(xxv) "'सुविधा के परिचायक (operator of a facility)' से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो नगरीय ठोस अपशिष्टों के संग्रहरण, पृथक्करण, भण्डारण, परिवहन, प्रसंस्करण और निपटान की सुविधा का स्वामी या परिचालक है और इसके अन्तर्गत ऐसा कोई अभिकरण भी आता है जो अपने–अपने क्षेत्रों में नगरीय ठोस अपशिष्टों के प्रबंधन और हथालन के लिए नगर पालिका प्राधिकारी द्वारा इस रूप में नियुक्त किया गया है।" प्रसंस्करण से वह प्रक्रिया अभिप्रेत है, जिसके द्वारा अपशिष्ट सामग्रियों को नये या पुनः चक्रित उत्पादों में परिवर्तन किया जाता है ;

(xxvi) 'पुनः चक्रण (recycling)' से वह प्रक्रिया अभिप्रेत है, जो नये उत्पादों के उत्पादन के लिए पृथक्करण सामग्रियों को उत्पादन सामग्री में परिवर्तन करता है। जो अपने मूल उत्पादन के समान हो सकता है या नहीं भी हो सकता है ;

(xxvii) 'पृथक्करण (Seagregation)' से नगरीय ठोस अपशिष्टों को कार्बनिक, अकार्बनिक, पुनः चक्रण योग्य और परिसंकटमय अपशिष्टों को वर्गों में अलग–अलग करना अभिप्रेत है ;

(xxviii) 'भण्डारण (Storage)' से नगरीय ठोस अपशिष्टों के अस्थाई के अस्थाई रूप से इस प्रकार डिब्बा बन्द किया जाना अभिप्रेत है, जिससे कूड़ा–करकट, रोग वाहनों के आकर्षित करने, आवारा पशुओं तथा अत्यधिक दुर्गन्ध को रोका जा सके ;

(xxix) 'परिवहन (transportation)' से विशेष रूप से डिजाइन की गई परिवहन प्रणाली द्वारा स्वच्छता से एक स्थान से दूसरे स्थान तक नगरीय ठोस अपशिष्ट का परिवहन करना अभिप्रेत है ताकि दुर्गन्ध, कूड़ा–करकट बिखेरने, रोग वाहनों की पहुँच से रोका जा सके।

5. कोई भी व्यक्ति/स्थापन (establishment) नगरीय ठोस अपशिष्ट को नाली, सड़क, गली फुटपाथ, किसी भी खुले स्थान पर जो नगरपालिका द्वारा इस प्रयोजन के लिए निर्धारित नहीं किया गया है, न डालेगा और न ही डलवायेगा।

6. नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादक व्यक्ति/स्थापन अपशिष्ट उत्पादन स्थल पर दो कूडादान रखेगा, जिनमें से एक में जैव निम्नकरणीय अपशिष्ट तथा दूसरे में पुनः चक्रणीय अपशिष्ट संग्रहित करेगा।

7. नगरीय ठोस अपशिष्ट के उत्पादन व्यक्ति/स्थापन द्वारा उक्त बिन्दु 6 के अनुसार संग्रहित जैव निम्नकरणीय अपशिष्ट प्रतिदिन तथा पुनः चक्रणीय अपशिष्ट सप्ताह में एक दिन नगरपालिका, के द्वारा निर्धारित समय, प्रक्रिया के अनुसार नगरपालिका के कर्मचारी/सुविधा के प्रचालक (operator of a facility) को देना होगा (किन्तु जीव नाशित कूड़ा, जीव अनाशित थैले में रखकर नहीं डाला जायेगा), जिसके लिए अनुसूची में निर्धारित दरों जो समय–समय पर संशोधित की जा सकेगी के अनुसार उत्पादन व्यक्ति/स्थापन के प्रतिमाह सेवा शुल्क (user charges) लिये जायेंगे।

8. नगरीय ठोस अपशिष्ट के उत्पादन व्यक्ति/स्थापन ढहान तथा निर्माण सम्बन्धी अपशिष्टों को उठाने के लिए नगरपालिका से सम्पर्क कर पालिका द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार ऐसे अपशिष्टों को उठाने के लिए निर्धारित दर पर सेवा शुल्क (user charges) भुगतान करेगा।

9. नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादन व्यक्ति/स्थापन द्वारा जहाँ तक सम्भव हो बागवानी व सभी पेड़–पौधों के कूड़े को परिसर में ही कम्पोस्ट करना होगा, जहाँ ऐसा सम्भव न हो नगरपालिका से सम्पर्क कर पालिका द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार ऐसे अपशिष्टों को उठाने के लिए निर्धारित दर पर सेवा शुल्क (user charges) भुगतान करेगा। किसी भी दशा में ऐसे अपशिष्टों को जलाया नहीं जायेगा।

10. नगरीय ठोस अपशिष्ट उत्पादन व्यक्ति/स्थापन द्वारा परिसंकटमय (hazardous) अपशिष्टों को अलग से जमा रखना होगा और पन्द्रह दिन में एक बार द्वार–द्वार संग्रहरण हेतु कर्मचारी/सुविधा के परिचालक को देना होगा।

11. नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादन व्यक्ति/स्थापन जीव चिकित्सा अपशिष्टों का प्रबंधन जीव–चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबंधन और हस्तन), नियम, 1998 के अनुसार करेगा, बिना उपचारित जैव–चिकित्सा अपशिष्टों को नगरीय ठोस अपशिष्टों में नहीं मिलायेगा।

12. नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादन करने वाला/हथालन करने वाला व्यक्ति/स्थापन तथा अन्य कोई भी व्यक्ति नगरीय ठोस अपशिष्टों को न जलायेगा और न जलवायेगा।

13. नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादन पृथक्करण, संग्रहरण, भण्डारण, परिवहन तथा व्ययन से सम्बन्धित स्थल का अधिकार निरीक्षण अधिकारी को होगा।

14. निरीक्षण अधिकारी, द्वारा स्थल पर पाये गये नगरीय ठोस अपशिष्ट को यदि तत्काल उठवाने की आवश्यकता समझी जाती है जो मासिक यूजर चार्जेज के अन्तर्गत निर्धारित नहीं है, को अपशिष्ट उत्पादन के द्वारा अथवा नगरपालिका/सुविधा के प्रचालक तत्काल उठवाया जा सकेगा और उसके लिए स्थल पर ही यूजर चार्जेज वसूल किया जा सकेगा, जिसकी प्राप्ति रसीद अपशिष्ट उत्पादन को दी जायेगी, यह धनराशि उसी दिन अथवा अगले कार्य दिवस में पालिका कोष/सुविधा के प्रचालक के खाते में जमा की जायेगी।

15. अनुसूची मे दी गयी दरों में द्विवार्षिक 10 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी, जिसकी गणना ₹ 5.00 के पूर्णांक में की जायेगी।

16. उपविधि में लगाये जाने वाले यूजर चार्जेज में छूट का प्राविधान नहीं होगा।

17. इस उपविधि के अन्तर्गत न0पा0 को देय धनराशि न0पा0, 1916 की धारा 174 में उपबन्धित रीति से वसूल किये जा सकते हैं।

18. उपरोक्त किसी भी प्राविधान की अवहेलना करने पर प्रथम दोष सिद्धि के लिए ₹ 500.00 तक अर्थदण्ड तथा अवहेलना जारी रहने पर ₹ 20.00 प्रतिदिन का अर्थदण्ड देय होगा।

क्र0 सं0	अपशिष्ट उत्पादन की श्रेणी/अपशिष्ट का प्रकार	प्रतिमाह सेवा शुल्क (user charges) का प्रस्तावित राशि रुपया में
1	2	3
1.	गरीबी रेखा से नीचे के घर (बी0पी0एल0 कार्डधारक)	कच्ची झोपड़ी ₹ : निल, पक्का मकान : ₹ 5.00
2.	कम आय वाले घर (बी0पी0एल0 कार्ड धारक के अतिरिक्त ₹ 5000.00 प्रतिमाह तक आय वाले घर)	₹ 10.00
3.	मध्यम आय वाले घर (₹ 5,000.00 प्रतिमाह से अधिक ₹ 10,000.00 तक प्रतिमाह आय वाले घर)	₹ 20.00

1	2	3
4.	उपरोक्त के अतिरिक्त घर	₹ 30.00
5.	सब्जी एवं फल विक्रेता	ठेली पर फेरी में ₹ 5.00 प्रतिदिन, दुकान/फड़ पर ₹ 50.00
6.	मांस एवं मछली विक्रेता	न्यूनतम ₹ 50 तथा 10 कि0 ग्रा0 तक उससे अधिक पर ₹ 01.00 प्रति कि0 ग्रा0 प्रतिदिन अतिरिक्त
7.	रेस्टोरेन्ट	छोटे ₹ 100.00, मध्यम ₹ 200.00 तथा बड़े ₹ 300.00
8.	होटल/लॉजिग/गेस्ट हाउस	20 बेड तक ₹ 100.00, 21 से 40 बेड तक ₹ 200.00 एवं 41 से अधिक बेड तक ₹ 500.00
9.	धर्मशाला	₹ 1.00 प्रति कमरा प्रति माह
10.	बारात घर, चेरिटेबिल बारात घर, नान–चेरिटेबिल	₹ 100.00 प्रति उत्सव ₹ 500.00 प्रति उत्सव
11.	बेकरी	₹ 100.00
12.	कार्यालय	50 कर्मचारियों तक ₹ 50, 51 से 100 कर्मचारियों तक ₹ 100, 101 से 300 कर्मचारियों तक ₹ 200 तथा उससे अधिक कर्मचारियों वाले कार्यालय ₹ 500
13.	स्कूल/शिक्षण संस्थाएं आवासीय	100 बेड तक ₹ 500, उससे अधिक ₹ 10 प्रति बेड अतिरिक्त
14.	स्कूल/शिक्षण संस्थाएं अनावासीय	500 विद्यार्थियों तक ₹ 250, उससे अधिक ₹ 500
15.	हॉस्पीटल/नर्सिंग होम (बॉयोमेडिकल बेस्ट को छोड़कर)	20 बेड तक ₹ 200, 21 बेड से 40 तक ₹ 300 एवं 41 से 100 बेड तक ₹ 500, उससे अधिक ₹ 750
16.	क्लीनिक/पैथोलॉजी/मेडिकल स्टोर	क्लीनिक ₹ 50, पैथोलॉजी ₹ 100, मेडिकल स्टोर ₹ 150
17.	हर प्रकार की दुकान/चाय की दुकान	मोहल्ले की छोटी दुकान ₹ 10, बाजार की दुकान ₹ 30, शो रूम ₹ 100, छोटे मॉल ₹ 250, बहुमंजिले मॉल ₹ 500
18.	फैक्ट्री	10 श्रमिकों तक ₹ 250, 10 से 20 श्रमिकों तक ₹ 300, उससे अधिक ₹ 500
19.	हर प्रकार के वर्कशॉप	दर्जी ₹ 30, नाई ₹ 30, कारपेन्टर ₹ 50, मिठाई ₹ 300
20.	कबाड़ी	₹ 300
21.	जूस/गन्ने का रस विक्रेता	₹ 500
22.	सार्वजनिक/निजी स्थलों पर सर्कस/प्रदर्शनी/ विवाह आयोजन जिनमें अपशिष्ट उत्पन्न हो	₹ 300, होटल में विवाह ₹ 1000 प्रति उत्सव
23.	ढहान तथा निर्माण सम्बन्धी अपशिष्ट	0.50 घन मी0 तक ₹ 50, 1.0 घन मी0 तक ₹ 100, 3.0 घन मी0 तक ₹ 250, 6.0 घन मी0 तक ₹ 500 तथा इससे अधिक प्रति घन मी0 ₹ 50,
24.	सिनेमा हॉल	₹ 150 प्रतिमाह
25.	केले के गोदाम	₹ 500 प्रतिमाह

ह0 (अस्पष्ट),
अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद्, कोटद्वार।

कार्यालय, नगर निगम, रूद्रपुर (ऊधमसिंह नगर)

उपविधि सूचना

11 मार्च, 2015 ई0

संख्या–यू0 चार्जे0/2014–15/632–नगर निगम, रूद्रपुर, जनपद ऊधमसिंह नगर द्वारा नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन और हथालन नियम, 2000 के अन्तर्गत नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 541 एवं भारत का राजपत्र नई दिल्ली के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये नगरीय ठोस अपशिष्टों के प्रबन्धन और हथालन को नियमित/नियंत्रित करने हेतु उपभोग शुल्क (यूजर चार्जेज) लागू किये जाने हेतु उपविधि बनाने का प्रस्ताव किया है, जिसे कि नगर निगम अधिनियम, 1959 के प्राविधानों के अन्तर्गत उन व्यक्तियों, जिस पर कि इसका प्रभाव पड़ने की सम्भावना है, से आपत्तियां एवं सुझाव उचित माध्यम द्वारा आमंत्रित की गयी थी। निर्धारित समय–सीमा के अन्तर्गत कोई भी आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुये हैं।

अतः अब यह उपविधि लागू किये जाने हेतु अन्तिम रूप से प्रकाशित किया जाता है।

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ–इन नियमों का संक्षिप्त नाम नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन और हथालन नियम, 2000 के अन्तर्गत उपभोग शुल्क (यूजर चार्जेज), नियम, 2011 होगा।

2. जैसा इन नियमों में अन्यथा उपबंधित है, उसके अतिरिक्त में राजकीय गजट में प्रकाशन के प्रकाशन की तिथि से लागू/प्रवृत्त होगा।

3. लागू होना–ये नियम नगरीय ठोस अपशिष्टों के संग्रह, पृथक्करण भण्डारण, परिवहन, प्रसंकरण तथा व्ययन के संचालन एवं रख–रखाव के लिये होगा।

नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 541 के अन्तर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन एवं हथालन नियम भारत का राजपत्र दिनांक 25.09.2000 के प्राविधानों पर निम्न उपविधियों व शुल्क आरोपण किये जाने हेतु।

उपविधि नियमावली :

1. यह उपविधि नगर निगम, रूद्रपुर सीमान्तर्गत नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन एवं हथालन योजना के संचालन एवं रख–रखाव हेतु उपभोग शुल्क (यूजर चार्जेज) उपविधि 2011 कहलायेगी।

2. उक्त उपविधि नगर निगम, रूद्रपुर सीमान्तर्गत प्रभावी होगी।

परिभाषा :

नगर निगम से तात्पर्य नगर निगम, रूद्रपुर है।

1. "प्रशासक/मेयर" से तात्पर्य नगर निगम, रूद्रपुर से है ;

2. "मुख्य नगर अधिकारी" से तात्पर्य मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम, रूद्रपुर है ;

3. "नगर स्वास्थ्य अधिकारी" से तात्पर्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी, नगर निगम, रूद्रपुर से है ;

4. "स्वच्छता समिति" से तात्पर्य नगर निगम, रूद्रपुर द्वारा मौहल्लों में गठित स्वच्छता समिति से है।

उपभोग शुल्क (यूजर चार्जेज) शुल्क सूची :

क्र0 सं0	वर्ग/श्रेणी	दर प्रतिमाह
1	2	3
1.	प्रति परिवार	₹ 50
2.	ढाबा	₹ 350
3.	रेस्टोरेन्ट	₹1000
4.	पान स्टॉल/टी–स्टॉल/ठेले	₹ 75

1	2	3
5.	होटल/गेस्ट हाउस/धर्मशाला 01 से 10 कमरों का	₹ 1000
6.	होटल/गेस्ट हाउस/धर्मशाला 11 से 20 कमरों का	₹ 1500
7.	तीन सितारा होटल	₹ 2500
8.	पाँच सितारा होटल	₹ 5000
9.	कार्यालय	₹ 250
10.	समस्त प्रकार की फैक्ट्री	₹ 1000
11.	राईस मिल	₹ 2500
12.	वर्कशॉप–2 पहिया वाहन	₹ 250
13.	वर्कशॉप–4 पहिया वाहन	₹ 500
14.	अन्य वर्कशॉप	₹ 500
15.	2–4 पहिया वाहनों के शोरूम	₹ 1000
16.	अन्य समस्त प्रकार की दुकानें–प्रति दुकान	₹ 100
17.	सिनेमा हॉल	₹ 1200
18.	बेकरी/फूड प्वाइन्ट एवं बेकरी आउटलेट	₹ 500
19.	हॉस्टल 01 से 50 कमरों का	₹ 1000
20.	हॉस्टल 50 कमरे अथवा उससे अधिक	₹ 1500
21.	बैंक	₹ 250
22.	फास्ट फूड	₹ 500
23.	स्वीट शॉप साधारण	₹ 350
24.	स्वीट शॉप ब्राण्डेड	₹ 500
25.	बेजीटेबिल/फल–सब्जी की दुकान	₹ 200
26.	फल–सब्जी की आढ़त	₹ 500
27.	गल्ला आढ़त दुकानें	₹ 500
28.	गुड़ आढ़त	₹ 500
29.	स्कूल (सरकारी)	₹ 200
30.	स्कूली (प्राइवेट)	₹ 1000
31.	अन्य अधिष्ठान	₹ 500
32.	बारातघर/बैंकट हॉल	₹ 2500
33.	बार	₹ 500

शुल्क वसूली :

1. नगर निगम, रूद्रपुर द्वारा नियुक्त प्राधिकृत व्यक्ति/संस्था/मौहल्ला स्वच्छता समिति के द्वारा निर्धारित रसीद द्वारा की जायेगी।

2. नियमित समय के अन्दर शुल्क भुगतान न करने पर अवशेष राशि की वसूली भू–राजस्व की भांति वसूली जायेगी।

3. शुल्क वसूली हेतु नगर निगम/आई0एस0डब्लू0एम0 क्रियान्वयन संस्था निर्धारित प्रारूप पर मांग/वसूली रजिस्टर रखा जायेगा, जिसमें प्रतिमाह/प्रतिदिन अथवा निगम/संस्था/मौहल्ला स्वच्छता समिति द्वारा समय–समय पर जनसुविधानुसार शुल्क वसूली की जा सकेगी। वार्षिक शुल्क वित्तीय वर्ष के प्रथम माह में एक मुस्त जमा करने पर 10 प्रतिशत की छूट देय होगी। उपभोग शुल्क (यूजर चार्जेज) एवं दण्ड वसूलने हेतु नगर निगम, रूद्रपुर के मुख्य नगर अधिकारी अथवा निगम द्वारा अधिकृत एस0डब्ल्यू0एम0 को क्रियान्वित करने वाली संस्था/मौहल्ला स्वच्छता समितियां अधिकृत होंगी। बकाये की वसूली भू–राजस्व की भांति की जायेगी।

4. प्रतिमाह/प्रतिदिन दैनिक आय का संलग्न प्रारूप का सत्यापन नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी के द्वारा किया जायेगा।

5. उपभोग शुल्क (यूजर चार्जेज) वसूली अनुसूची में समय–समय पर जन सुविधानुसार नियमों में परिवर्तन के लिये नगर निगम में निहित होगा।

6. विशेष परिस्थितियों में आवेदन करने पर अतिनिर्धन व्यक्ति/संस्था का उक्त शुल्क से छूट देने का अधिकार निगम में निहित होगा।

शास्ति

नगर निगम, रूद्रपुर की नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन योजनान्तर्गत उपभोग शुल्क (यूजर चार्जेज) उपविधि का उल्लंघन करने पर नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 541 के अधीन कार्यवाही/जुर्माना/अर्थदण्ड, जो ₹ 1000 तक होगी, यदि निर्धारित अवधि तक धनराशि जमा नहीं की जाती है, तो इस धनराशि के अतिरिक्त ₹ 50 प्रतिदिन अर्थदण्ड देय होगा। यदि उपभोक्ता (यूजर) कूड़ा अलग–अलग डिब्बों में पृथकीकरण कर नहीं रखता है तो यूजर चार्जेज दो गुने देय होंगे।

निधि यादव,
मुख्य नगर अधिकारी,
नगर निगम, रूद्रपुर,
ऊधमसिंह नगर।

सोनी कोली,
मेयर,
नगर निगम, रूद्रपुर,
ऊधमसिंह नगर।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 17 हिन्दी गजट/195–भाग 8–2015 (कम्प्यूटर/रीजियो)।
मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।